[2022] 19 एस. सी. आर. 100

सरनपाल कौर आनंद

वी.

प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य

(2022 की सिविल अपील संख्या 2573)

28 मार्च, 2022

[संजीव खन्ना और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

वाद में-तथ्यों पर, अपीलार्थी-वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 9-प्रतिवादी संख्या के खिलाफ मुकदमा दायर किया। 1 9 से घोषणा की डिक्री की मांग करते हुए कि वाद संपत्ति वादी और प्रतिवादी संख्या की संयुक्त अविभाजित पारिवारिक संपत्ति है। 3 9 वादी के माता-पिता के उत्तराधिकारी होने के लिए; घोषणा की डिक्री कि वादी की दिवंगत मां द्वारा निष्पादित कथित बिक्री विलेख दिनांक 23.08.1969 उसके भाई के पक्ष में उसके कथित वकील के माध्यम से-प्रतिवादी नं। 1 और भाई द्वारा अपने बेटे के पक्ष में निष्पादित कथित बिक्री विलेख-प्रतिवादी सं। 2 अमान्य है और प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री Nos.1

और 2, उन्हें वाद संपत्ति के किसी भी हिस्से के संबंध में किसी तीसरे पक्ष के हित को बढ़ाने/निर्माण करने/जोड़ने/बदलने या बेचने के लिए किसी भी समझौते में प्रवेश करने से रोकना-प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने लिखित बयान दायर किए और साथ ही शिकायत की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन भी दायर किया। VI आर। 17 कब्ज़े की राहत को शामिल करने और कार्रवाई के कारण खंड में संशोधन करने के लिए वाद में संशोधन करने की मांग करते हुए-इसके बाद, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रारंभिक मुद्दे का निर्णय यह मानते हुए किया कि वाद समय द्वारा वर्जित होने के कारण, वाद खारिज होने के लिए उत्तरदायी था; और संशोधन आवेदनों को दुर्भावनापूर्ण और बनाए रखने योग्य नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया गया था-खंड पीठ ने उक्त आदेश को बरकरार रखा-मुद्दे के संबंध में-क्या एकल

पीठ प्रारंभिक मुद्दे को यू/या तैयार कर सकती थी। XIV आर। 2 अभियोग यू/या को अस्वीकार करने के लिए सीमा के मुद्दे के संबंध में। VII आर। 11 ((घ) क्या डिवीजन बेंच या का सहारा ले सकती थी। बारहवीं आर। 6 , जो एकल पीठ के समक्ष मुद्दा नहीं था, वाद को अस्वीकार करने के लिए; और क्या एकल पीठ और खंड पीठ ने गलती की

लिखित बयानों और अन्य दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए जो आधार पर शिकायत को खारिज करते हुए शिकायत का हिस्सा नहीं थे

100 सरनपाल कौर आनंद बनाम। प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य

कि मुकदमे को मतभेद को देखते हुए सीमा द्वारा वर्जित किया गया था

दो माननीय न्यायाधीशों के बीच, मामले को निर्देश के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

मामले को माननीय प्रमुख के समक्ष रखने का निर्देश

उचित आदेशों/निर्देशों के लिए भारत के न्यायाधीश, न्यायालय

पकड़नाः

संजीव खन्ना के अनुसार, जे.

1.1 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 11 के खंड (डी) के तहत एक निर्णय आम तौर पर आगे बढ़ता है

‘ डिमरर '। इसका मतलब है कि कानूनी कार्रवाई पर आपत्ति करने वाला पक्ष विरोधी पक्ष द्वारा आरोप लगाए गए मामले की सच्चाई को मानता है

आगे बढ़ें। [पैरा 8] [112-डी-ई] 1.2 सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 58 के अनुसार, घोषणा के लिए एक मुकदमे में जहां अनुच्छेद 56 और 57 लागू नहीं होते हैं,

शिकायत तीन साल की अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए जब पहले मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त हो। घोषणा के लिए अनुरोध पर अनुच्छेद 58 को लागू करने पर, कि 23 अगस्त 1969 का बिक्री विलेख अमान्य है, 27 मार्च 2012 को 42 साल बाद दायर किया गया मुकदमा स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित है। [पैरा 10] [114-ए-बी]

1.3 सामान्य सिद्धांत, जो सीमा अधिनियम की धारा 17 में भी प्रकट होता है, वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुमानित किया जाता है

संपत्ति में अपने कानूनी अधिकार और अधिकार को जानने के लिए, और यदि वह संपत्ति पर अपने अधिकार और अधिकार का ध्यान नहीं रखता है, तो संपत्ति के ऐसे अधिकार या अधिकार के आधार पर मुकदमा दायर करने का समय उसके खिलाफ चलने से रोका नहीं जाता है। द. धारा 17 (1) के प्रावधानों में न्याय और समानता के मौलिक सिद्धांत शामिल हैं। कि किसी पक्ष को कानूनी कार्यवाही को अपनाने में विफल रहने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए जब तथ्य या दस्तावेज

उनसे जानबूझकर छिपाए गए हैं और यह भी कि एक पक्ष जिसने धोखाधड़ी से काम किया था, उसे इस तरह की धोखाधड़ी के आधार पर उसके पक्ष में चलने वाली सीमा का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। जब वादी सीमा अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) पर धोखाधड़ी या गलती का दावा करता है, तो उसे वह तारीख बतानी होती है जिस दिन उसने [2022] 19 एस. सी. आर. की खोज की है।

संहिता का नियम 6। आदेश VII नियम 6 और आदेश VI नियम 4 कब और किस हद तक लागू होते हैं, ये प्रावधान विशिष्ट होने के कारण आदेश VI नियम 2 में पाए जाने वाले सामान्य नियम पर प्रबल होंगे। कोड। फिर भी, नियमों की आवश्यकता अभिवचन करना है

तिथियों के साथ विशिष्ट तथ्य, लेकिन तथ्यात्मक साक्ष्य नहीं, जिसके आधार पर वादी अंततः सीमा की छूट के लिए अपने दावे को स्थापित करने और उचित ठहराने की कोशिश करेगा। जब आदेश VI नियम 4 और आदेश VII नियम 6 के संदर्भ में आवश्यक न्यूनतम सीमा को पूरा किया जाता है और पूरा किया जाता है, तो इसे एक संकीर्ण या कठोर सूत्र में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती तथ्यों सहित तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, और विशेष रूप से पक्षों या उनके पूर्ववर्तियों के बीच संबंध और बिना किसी चुनौती के बीत चुकी अवधि। इन पहलुओं की जांच करते समय, विशेष रूप से प्रारंभिक चरण में नियम 11 के खंड (डी) से आदेश VII या संहिता के आदेश XIV नियम 2 के तहत, अदालत इस धारणा के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकती है कि साक्ष्य के आधार पर क्या किया जाएगा ताकि साक्ष्य पर निष्कर्ष दर्ज किया जा सके। साथ ही, एक कलाकृति या चतुराई से मसौदा तैयार करने से अदालत को स्पष्ट रूप से समय की पाबंदी वाली कार्यवाही को रोकने से नहीं रोकना चाहिए। अदालत संहिता के आदेश बारहवें नियम 6 का लाभ तब ले सकती है जब वादी द्वारा शिकायत और दस्तावेजों में किए गए प्रवेश पक्षकारों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, या कोई विवाद नहीं होता है जिसके लिए दस्तावेजों के संदर्भ में मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। आदेश VII नियम 11 और आदेश XIV नियम 2 के प्रावधानों को एक साथ लागू करने या यहां तक कि आदेश XII नियम 6 को लागू करने के खिलाफ कोई रोक नहीं है।

डिमरर। संहिता के प्रावधान जलरोधक नहीं हैं

खंड, जब तक कि ऐसा वैधानिक निर्माण स्पष्ट या स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हो। हम बाधाओं के अभाव में, प्रक्रियात्मक कानून के अनुप्रयोग में निचली अदालत या अपीलीय अदालत के लचीलेपन से इनकार नहीं करेंगे। निर्धारित करने का मूल उद्देश्य प्रक्रिया न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। इसलिए जब तक कि स्पष्ट भाषा या किसी पाठ्यक्रम को प्रतिबंधित करने के स्पष्ट इरादे से मजबूर न किया जाए, सरनपाल कौर आनंद v.

प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य

एक प्रक्रियात्मक अधिनियम के रूप में संहिता के प्रावधानों का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि वे न्याय के उद्देश्यों में स्थितियों का सामना करने और उनसे निपटने के लिए न्यायालय को छोड़ दें। [पैरा 14] [116-ई; 117-डी-जी; 118-ए-सी]

1.5 वादमे कहल गेल अछि जे प्रतिवादी सं। 1 और 2, टीके के साथ, सूट को हड़पने में दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे से था

सूट परिसर का उपयोग और कब्जा किया गया है। यह दावा किया जाता है कि वादी अपने लाभ की वसूली की मांग करने का हकदार है। रुपये की दर। 1 प्रति वर्ष एक लाख रुपये या प्रतिवादी संख्या से अदालतों द्वारा निर्धारित ऐसी दर। 1 और 2 मुकदमे की संपत्ति के अवैध, गैरकानूनी और अनधिकृत उपयोग और कब्जे के लिए। [पैरा

15.9] [125 - ए-एफ] [2022] 19 एस. सी. आर.

1.6 वादी और परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से कानूनी नोटिसों में उपयोग की जाने वाली भाषा और शब्द तथ्यों की स्वीकृति हैं जो चार दशकों से अधिक की पेटेंट देरी को अस्पष्ट करने के लिए रचनात्मक और चालाक कथन द्वारा किए गए भ्रम को उजागर करते हैं। प्रवेश पर काबू पाने के लिए, वादी ने प्रस्तुत किया है कि नोटिसों में उपयोग किया गया शब्द/अभिव्यक्ति 'दिया गया' है न कि 'हस्तांतरण/बिक्री'। यह कि 'दिया गया' शब्द तथ्यात्मक रूप से सही है, हालांकि जब कोई नोटिसों को समग्र रूप से पढ़ता है तो यह स्पष्ट है कि वादी ने अपने परिवार के सदस्यों और प्रतिवादी संख्या 3 के साथ स्वीकार किया है कि टीके के पक्ष में वाद संपत्ति का हस्तांतरण किया गया था। [पैरा 18] [127-एफ-जी]

1.7 वादी द्वारा वाद में किए गए दावे

उनकी माँ स्वर्गीय एच. के. ने कहा कि उन्होंने एक सक्रिय और संयुक्त में अभिनय किया था

स्वर्गीय टीके के साथ संगीत कार्यक्रम, मिलीभगत और साजिश आत्म-सेवा और काल्पनिक हैं। मामले की आवश्यकता और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के अनुसार, अस्पष्ट, भ्रामक या विरोधाभासी मसौदे से असहाय और लकवाग्रस्त महसूस किए बिना वादी द्वारा भरोसा किए गए अन्य बयानों और दस्तावेजों के साथ अभिवचनों में दावों की जांच और समझ की जानी चाहिए। पूरे वाद का सार्थक अध्ययन

जब घोर रूप से अविश्वसनीय और संदिग्ध बयान दिए जाते हैं तो इसकी आवश्यकता हो सकती है। विचार यह है कि स्पष्ट रूप से परेशान करने वाले और गुणहीन मामलों की जांच की जाए और उन्हें समाप्त किया जाए। [पैरा 19] [128-सी-ई]

टीके के स्वामित्व को चुनौती। 2008 में, विवाद उत्पन्न हुए थे, लेकिन टी. के. की संपत्ति की विरासत के संबंध में, हालाँकि वादी और प्रतिवादी संख्या 3 ने टी. के. के स्वामित्व और स्वामित्व को चुनौती नहीं दी थी। टीके। इस पृष्ठभूमि में, जैसा कि ज्ञान की कमी की दलील मनगढ़ंत और अवास्तविक प्रतीत होती है, अभिवचन और दस्तावेजों को सरनपाल कौर आनंद v को लिए बिना विवेक और बोध के साथ पढ़ा जाता है।

गंजे और ढोंगी आरोपों से दूर रहना जो प्रभावित नहीं करते हैं स्वीकृत और 'स्वीकृत' तथ्य। [पैरा 20] [128-ई-जी; 129-ए]

1.9 10 अक्टूबर 2008 और 24 अक्टूबर 2008 के नोटिसों को स्वीकार किया जाता है और शिकायत में बिना किसी आरक्षण के संदर्भित किया जाता है। वे वादी द्वारा शिकायत के साथ वादी द्वारा भरोसा किए गए प्रासंगिक दस्तावेजों के रूप में दायर किए गए हैं। शिकायत दोनों नोटिसों में की गई सामग्री और स्वीकारोक्ति पर विवाद या व्याख्या नहीं करती है। डिमरर के सिद्धांत के आवेदन पर, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वाद में किए गए अभिकथनों और वादी द्वारा भरोसा किए गए और स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर, कि 2008 से पहले भी, वादी को 23 अगस्त 1969 के बिक्री विलेख के बारे में पता था और उसे जानकारी थी जिसके द्वारा स्वामित्व अधिकार टीके को हस्तांतरित किए गए थे। वादी ने, 2008 में, स्थानांतरण पर सवाल नहीं उठाया और उसे चुनौती नहीं दी, हालांकि वह पूरी तरह से जानती थी कि टीके ने अधिग्रहण किया था

स्वामित्व अधिकार। [पैरा 21,22] [129-बी-सी] 1.10 सीमा अधिनियम की धारा 17 (1) की सीमा और शर्तें, जो किसी पक्ष के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है, धोखाधड़ी की गई है।

धोखाधड़ी का पता चला होगा। सीमा अधिनियम की धारा 17 (1) धोखाधड़ी करने वाले पक्ष के अधिकारों को समय के अंतराल से बचाती है जब तक कि पक्ष अपने स्वयं के खाते में गलती नहीं करता है। तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि वादी को अक्टूबर 2008 में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा निष्पादित 23 अगस्त 1969 के बिक्री विलेख के माध्यम से दिवंगत टीके के पक्ष में स्वामित्व अधिकारों के निष्पादन और हस्तांतरण के बारे में जानकारी थी। बिक्री विलेख के बारे में अज्ञानता का नाटक करते हुए वाद में असंबद्ध दावा करने से मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि वाद में अनुरोध किए गए और स्वीकार किए गए तथ्यों में, वादी को यह बताने और इंगित करने की आवश्यकता थी कि अज्ञानता उचित परिश्रम करने में विफलता के कारण नहीं थी। [पैरा 23] [129-डी-एफ] 1.11 एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा जाता है जिसमें मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया जाता है कि यह सीमा द्वारा वर्जित है। दो आवेदनों को खारिज करने के संबंध में एकल न्यायाधीश और खंड पीठ का निर्णय [2022] 19 एस. सी. आर.

संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत अभिवचनों के संशोधन के लिए वादी द्वारा दायर किया गया, इस आधार पर कि जब वाद को ही सीमा द्वारा वर्जित कर दिया गया है, तो ऐसे वाद में संशोधन किया जाएगा अनावश्यक, पुष्टि की जाती है। [पैरा 24] [129-जी-एच; 130-ए]

बेला एम. त्रिवेदी, जे. (असहमति):

एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ वादी ने प्रावधानों पर भरोसा करके और त्रुटि की सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 में निहित, जो एकल पीठ के समक्ष मुद्दा भी नहीं था, और पारित आदेश की पुष्टि की

एकल बेंच द्वारा। वाद की अस्वीकृति के लिए आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने का दायरा, दायरा और मापदंड; आदेश XIV नियम 2 (2) के तहत एक प्रारंभिक मुद्दा उठाने के लिए; और अभिवचन में या अन्यथा आदेश XII नियम 6 के तहत तथ्य को स्वीकार करने पर निर्णय पारित करने के लिए बिल्कुल अलग और पारस्परिक रूप से अनन्य होने के कारण, तीनों प्रावधानों का उपयोग सीपीसी के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वाद को अस्वीकार करने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता था। [पैरा 9] [136-बी-ई]

1.2 नियम 11 आदेश VII के खंड (ए) और खंड (डी) में रेखांकित मूल अभिधारणा यह है कि वाद को अस्वीकार करते समय

उक्त प्रावधानों के अनुसार, अदालत को केवल वाद में किए गए कथनों और वाद के साथ संलग्न दस्तावेजों, यदि कोई हों, को देखने की आवश्यकता है, न कि लिखित बयान या अन्य दस्तावेजों को जो हैं अभियोग का हिस्सा नहीं। आदेश VII नियम 11 (डी) को लागू करने के लिए, और इस आधार पर शिकायत को अस्वीकार करने के उद्देश्य से कि मुकदमा है

किसी भी कानून द्वारा वर्जित, केवल वाद में किए गए अभिकथनों को सरनपाल कौर आनंद बनाम।

संदर्भित किया जाना चाहिए और यह कि लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा लिया गया बचाव पूरी तरह से अप्रासंगिक है,

विचार किया। [पारस 11,15] [137-जी; 140-डी]

1.3 जहां तक आदेश XIV नियम 2 (2) के तहत प्रारंभिक मुद्दे को तैयार करने का संबंध है, कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है। आदेश XIV के नियम 2 के उप नियम 2 में निर्दिष्ट किया गया है कि जहां दोनों कानून जारी किए जाते हैं और तथ्य यह है कि उसी वाद में उत्पन्न होता है और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल कानून के मुद्दे पर किया जा सकता है, वह पहले उस मुद्दे का परीक्षण कर सकता है यदि मुद्दा संबंधित है-(ए) न्यायालय की अधिकारिता, या (बी) उस समय लागू किसी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे के लिए एक बाधा। [पैरा 16] [140-ई]

1.4 सीमितता की याचिका को तथ्यों से अलग कानून के एक अमूर्त सिद्धांत के रूप में तय नहीं किया जा सकता है जैसा कि हर मामले में सीमा के प्रारंभिक बिंदु का पता लगाना होगा जो पूरी तरह से तथ्य का सवाल है। कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न होने के कारण सीमा की याचिका को आदेश XIV, नियम 2 (2) के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। [पैरा 20] [144-सी-डी]

1.5 जहाँ तक आदेश बारहवें नियम 6 के तहत प्रवेश पर निर्णय देने का संबंध है, प्रवेश के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए

वैध स्वीकार, यह आवश्यक रूप से एक स्पष्ट, स्पष्ट और बिना शर्त होना चाहिए। [पैरा 21] [144-डी-ई]

1.6 एकल पीठ ने सी. पी. सी. के आदेश XIV नियम 2 (2) के तहत एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार करने के बाद आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत शिकायत को खारिज कर दिया था। लेने के बाद एकल बेंच

लिखित कथन और अन्य दस्तावेजों पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि मुकदमा सीमा कानून द्वारा वर्जित था और आदेश VII, नियम 11 (डी) सी. पी. सी. के तहत शिकायत को खारिज कर दिया। इस तथ्य के अलावा कि आदेश XIV के तहत कोई प्रारंभिक मुद्दा तैयार नहीं किया जा सकता था, नियम 2 (2) सीमा के मुद्दे के संबंध में, जो कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न था, एकल पीठ ने सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वाद को खारिज करते हुए प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान और दस्तावेजों पर गलती से विचार किया। डिवीजन बेंच ने लिखित बयान में उठाई गई दलीलों का भी गलत तरीके से उल्लेख किया और कुछ बेदखली कार्यवाही में दायर आवेदनों जैसे दस्तावेजों का उल्लेख किया, जो [2022] 19 एस. सी. आर.

न तो शिकायत में संदर्भित किया गया था और न ही शिकायत के साथ जोड़ा गया था। डिवीजन बेंच ने गलती से कुछ पर भरोसा किया कानूनी नोटिसों में दिए गए बयानों को वादी की ओर से वादी के खिलाफ आदेश XII, नियम 6 के तहत निर्णय पारित करने के लिए एक स्वीकारोक्ति के रूप में माना जाता है, जबकि आदेश VII, नियम 11 (डी) सी. पी. सी. के तहत वादी की शिकायत को खारिज करने वाले एकल पीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए। न्यायालय की राय में वादी द्वारा किसी भी कथित कानूनी नोटिस में कोई स्पष्ट, स्पष्ट और बिना शर्त स्वीकार नहीं किया गया था, जिसे कथित बिक्री विलेखों के निष्पादन के संबंध में वादी की जानकारी के संबंध में प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे की स्वीकृति कहा जा सकता है। इसके विपरीत, वादी ने उसके और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ की गई धोखाधड़ी का अनुरोध किया था जो एच. के. के कानूनी प्रतिनिधि थे। इस समय न्यायालय मुकदमे में शामिल मुद्दों के गुण-दोष में जाने के लिए इच्छुक नहीं है। एकल पीठ और खंड पीठ ने सी. पी. सी. के विशिष्ट प्रावधानों को निरस्त करने और इस न्यायालय द्वारा तय की गई कानून की स्थिति की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए विवादित आदेश पारित किए। भले ही एकल पीठ ने पाया था कि मुकदमा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए दायर किया गया था या इसके संबंध में एक भ्रम पैदा किया गया था

एच; 147-ए] 1.7 सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग सी. पी. सी. के प्रावधानों को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अंतर्निहित

न्यायालय की शक्तियाँ संहिता द्वारा न्यायालय को विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त हैं, और इसका प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है जो संहिता में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई प्रक्रिया के विपरीत या अलग हो। [पैरा 26] [147-सी-डी]

आदेश XIV नियम 2 (2) और आदेश XII नियम 6 के तहत प्रवेश पर निर्णय लेने के लिए बिल्कुल अलग होना और एक-दूसरे से स्वतंत्र, एकल पीठ और खंड पीठ को उक्त प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता थी, और वे सरनपाल कौर आनंद बनाम का प्रयोग नहीं कर सकते थे।

प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य

किराया शक्तियाँ या सुओ मोटो शक्तियाँ स्पे को अपमानित करती हैं

कोड में निहित आयन। विवादित आदेश पा

उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई कानूनी स्थिति के उक्त प्रावधान की पूरी तरह से अवहेलना करने के कारण, रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। एकल पीठ की फाइल पर पुनर्स्थापित किया जाता है। [पैरा 27] [14

48 - ए]

नुस्ली नेविल वाडिया बनाम। आइवरी प्रॉपर्टीज और ओआरएस। (2020)

6 एससीसी 557 [2019] 15 एससीआर 795; चंदर कांता

बंसल बनाम। राजिंदर सिंह आनंद (2008) 5 एससीसी 117: [2008] 4 एस. सी. आर. 748; कमला और अन्य। वी. के. टी. ईश्वर सा और अन्य। (2008) 12 एससीसी 661: [2008] 7 एससीआर 39;

शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम केंद्रीय बैंक

भारत और एन. आर. 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 482; सत्ती परदेसी समाधि बनाम। एम. शकुंतला (2015) 5 एससीसी 574 [2014]

1 एस. सी. आर. 249; उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और अन्य। 2000 (4) आर. सी. आर. सिविल 89; हिमानी अलॉयज लिमिटेड बनाम। टाटा स्टील लिमिटेड 2011 (3) दीवानी अदालत के मामले

721 – पर भरोसा किया।

खत्री होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य। (2011) 9 एससीसी 126: [2011] 15 एससीआर 299 ; करम कपाही और ओआरएस। वी. लाल चंद पब्लिक

धर्मार्थ न्यास और अन्य। (2010) 4 एससीसी 753: [2010] 4

एससीआर 422; चरणजीत लाल मेहरा और अन्य। वी. कमल सरोज महाजन और अन्य। (2005) 11 एससीसी 279: [2005] 2 एस. सी. आर. 661; टी. अरिवंदम बनाम। टी. वी. सत्यपाल और अन्य। (1977) 4 एससीसी 467: [1978] 1 एससीआर 742; सलीम भाई और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2003) 1 एससीसी 557: [2002] 5 पूरक। एससीआर 491; सौमित्र कुमार सेन बनाम। श्यामल कुमार सेन और अन्य। (2018) 5 एस. सी. सी. 644; श्रीहरि हनुमंतस टोटला बनाम। हेमंत विठ्ठल कामत और अन्य। (2021) 9 एस. सी. सी. 99; रमेश बी. देसाई और अन्य। वी. बिपिन वादिलाल मेहता और अन्य। (2006) 5 एससीसी 638: [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 414; उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य। 2000 (4) आरसीआर सिविल 89; अर्जुन सिंह बनाम। मोहिंद्र कुमार और अन्य। ए. आई. आर 1964

एससी 993 [1964] एससीआर 946; पल्लव सेठ बनाम। अभिरक्षक और ओआरएस। (2001) 7 एससीसी 549: [2001] 1 पूरक। एस. सी. आर. 387; पी. राधा बाई और अन्य। वी. पी. अशोक कुमार और अन्य। (2019) 13 एससीसी 445: [2018] 12 एससीआर 143; [2022] 19 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम। सैयद जलाल (2017) 13 एस. सी. सी. 174 [2017] 5 एस. सी. आर. 295; टी.

अरिवंदम बनाम। टी. वी. सत्यपाल (1977) 2 एससीसी 467:

[1977] 2 एस. सी. आर. 654 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

संजीव खन्ना के फैसले में, जे।

[2019] 15 एससीआर 795

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[2008] 4 एससीआर 748

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[1978] 1 एससीआर 742

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

[2006] 3 पूरक। एससीआर 414

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[2018] 12 एससीआर 143

पैरा 11

संदर्भित किया गया है

[2017] 5 एससीआर-294

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[1977] 2 एससीआर 654

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

बेला एम. त्रिवेदी के निर्णय में, जे.

[2019] 15 एससीआर 795

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[2008] 7 एससीआर 39

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[2014] 1 एससीआर 249

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

[2011] 15 एससीआर 299

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[2010] 4 एससीआर 422

पैरा 23

संदर्भित किया गया है

[2005] 2 एससीआर 661

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[1978] 1 एससीआर 742

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[2002] 5 पूरक। एससीआर 491

पैरा 46

संदर्भित किया गया है

[2006] 3 पूरक। एससीआर 414

पैरा 18

संदर्भित किया गया है

[1964] एससीआर 946

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

[2001] 1 पूरक। एससीआर 387

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[1977] 2 एससीआर 654

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 25

2022 के सरनपाल कौर आनंद बनाम। प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य

2015 के आर. एफ. ए. (ओ. एस.) सं. 54 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 25.04.2016 के निर्णय और आदेश से। श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , दिनेश सी. पांडे, उदयतीय बनर्जी, पीयूष शर्मा, दुष्यंत दहिया, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री प्रियंका त्यागी, सूर्यकांत, अरुण के. सिन्हा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

संजीव खन्ना, जे।

छुट्टी दे दी गई।

2. हमारे सामने अपीलकर्ता, सरनपाल कौर आनंद, वादी हैं जिन्होंने सिविल मुकदमा, सी. एस. दायर किया है। (ओएस.) 2012 का सं. 873, मांगः घोषणा की डिक्री कि वाद संपत्ति संख्या 4-सी/7, नई रोहतक रोड, नई दिल्ली, वादी और प्रतिवादी संख्या की संयुक्त अविभाजित पारिवारिक संपत्ति है। 3 9 को स्वर्गीय हरनाम सिंह आनंद और स्वर्गीय हरबंस कौर के उत्तराधिकारी होने के नाते; घोषणा का एक फरमान कि स्वर्गीय हरबंस कौर द्वारा स्वर्गीय तेज कौर के पक्ष में अपने कथित वकील के माध्यम से 23 अगस्त 1969 को निष्पादित किया गया कथित बिक्री विलेख एक काल्पनिक, ढोंग है।

अक्षम, बुरा, अवैध, शून्य और शून्य; घोषणा की एक डिक्री कि

स्वर्गीय तेज कौर द्वारा परविंदर सिंह चंदोक (प्रतिवादी संख्या 2) के पक्ष में 12 अक्टूबर 1995 को निष्पादित कथित बिक्री विलेख काल्पनिक है।

शर्मनाक, अक्षम, बुरा, अवैध, अमान्य और कानून में शुरुआत से ही अमान्य; और प्रद्युम्न सिंह चंदोक को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री और परविंदर सिंह चंदोक (प्रतिवादी संख्या। 1 और 2), उनके एजेंटों, नामितों, उत्तराधिकारियों, नियुक्तियों, प्रतिनिधियों आदि को बढ़ाने/निर्माण/जोड़ने/बदलने या बेचने के लिए किसी भी समझौते में प्रवेश करने से या

हर्जाने और अन्य लाभों की राशि के निर्धारण की मांग करने के अलावा, वाद संपत्ति के किसी भी हिस्से के संबंध में किसी तीसरे पक्ष के हित, दावे, या उसके कब्जे के साथ विभाजन करना।

3. प्रतिवादी सं। 1 और 2 ने मुकदमे का विरोध करते हुए अपने-अपने लिखित बयान दायर किए। उन्होंने अस्वीकार करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया

सीमा के आधार पर शिकायत।

4. 7 फरवरी 2014 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सीमा के प्रारंभिक मुद्दे को निम्नानुसार निपटायाः

“ क्या तैयार किया गया मुकदमा सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत सीमा के आधार पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी है?

5. इसके बाद वादी ने संशोधन के लिए दो आवेदन दायर किए

अधिकार के लिए प्रार्थना को शामिल करने और कार्रवाई खंड के कारण में संशोधन करने के लिए शिकायत, जिसे प्रारंभिक मुद्दे पर सुनवाई के साथ सुनवाई के लिए लिया गया था।

6. 6 अप्रैल 2015 के आदेश द्वारा एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि

प्रारंभिक मुद्दा यह अभिनिर्धारित करता है कि वाद समय द्वारा वर्जित होने के कारण, वाद अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी था। वादी द्वारा दायर संशोधन के लिए आवेदनों को दुर्भावनापूर्ण और बनाए रखने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था।

7. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 25 अप्रैल 2016 के विवादित आदेश ने वादी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया

इस आधार पर शिकायत को खारिज करने के आदेश को बरकरार रखते हुए कि यह सीमा की अवधि से परे दायर किया गया था। वाद के संशोधन के लिए दायर आवेदन अनावश्यक होने के कारण एकल न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिए गए थे।

8. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'संहिता') के आदेश VII 1 के नियम 11 के खंड (डी) के तहत निर्णय आम तौर पर आगे बढ़ता है।

' डिमरर '। इसका मतलब यह है कि कानूनी कार्रवाई पर आपत्ति करने वाला पक्ष विरोधी पक्ष द्वारा आरोप लगाए गए मामले की सच्चाई को मानता है और यह स्थापित करता है कि यह दावे को बनाए रखने के लिए कानून में अपर्याप्त है या कानूनी कारण का गठन करने वाले अभिवचनों के सामने कुछ अन्य दोष है कि कार्यवाही को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। 2 यह भी अंतर्निहित सिद्धांत है।

संहिता के आदेश VII नियम 11 के खंड (डी) के पीछे जो तब लागू होता है जब यह वाद में एक बयान से प्रकट होता है कि मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है। इस कानून में सीमा अधिनियम, 1963 शामिल होगा। सीमा अधिनियम की धारा 3 में आदेश दिया गया है कि निर्धारित अवधि के बाद स्थापित, वरीयता प्राप्त या दायर किए गए और धारा 4 से 24 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक वाद, अपील या आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा, हालांकि सीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। संहिता के आदेश XIV 3 के नियम 2 के उप-नियम (2) में कहा गया है कि

1 "आदेश 7, नियम 11-वाद की अस्वीकृति-वाद को निम्नलिखित में अस्वीकार कर दिया जाएगा।

मामलेः — ((घ) जहां वाद वाद में दिए गए कथन से किसी भी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है;

2 रमेश बी. देसाई बनाम में अनुच्छेद 14 देखें। बिपिन वादिलाल मेहता और अन्य। (2006) 5 एससीसी 638। 3 आदेश XIV नियम 2 (2) सभी मुद्दों पर निर्णय देने के लिए न्यायालय। — (2) कहाँ?

((क) न्यायालय की अधिकारिता, या (ख) तत्काल प्रवृत्त किसी विधि द्वारा बनाए गए वाद पर रोक, और उस प्रयोजन के लिए, यदि वह उचित समझता है, तो अन्य मुद्दों के निपटारे को तब तक स्थगित कर सकता है जब तक कि उस मुद्दे का निर्धारण नहीं हो जाता है, और उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार वाद से निपट सकता है।

सरनपाल कौर आनंद बनाम। प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे एक ही मुकदमे में उत्पन्न होते हैं, और अदालत की राय है कि मामले या उसके किसी भी हिस्से का निपटारा केवल कानून के मुद्दे पर किया जा सकता है, वह पहले उस मुद्दे का प्रयास कर सकती है यदि मुद्दा (ए) अदालत की अधिकारिता से संबंधित है, या (बी) मुकदमे के लिए बाधा उस समय लागू किसी कानून द्वारा बनाई गई है। इसलिए, जब कानून के मुद्दों पर निर्णय निर्भर करता है

तथ्य के मुद्दों पर निर्णय, कानून के मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जाना चाहिए

एक प्रारंभिक मुद्दे पर। हालाँकि, जब कानून के मुद्दे पर 'स्वीकृत तथ्यों' पर निर्णय लिया जा सकता है, तो अदालत संहिता के आदेश XIV नियम 2 के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कानून के मुद्दे पर निर्णय ले सकती है। कानून की स्थिति को नुस्ली नेविल वाडिया बनाम में संक्षिप्त रूप से बताया गया है। आइवरी प्रॉपर्टीज और

अन्य 'निम्नलिखित शब्दों में:

" 51 ..... आदेश 14 नियम 1 के अनुसार, मुद्दे तब उत्पन्न होते हैं जब कोई सामग्री

तथ्य या कानून के प्रस्ताव की पुष्टि एक पक्ष द्वारा की जाती है और अस्वीकार कर दिया जाता है

दूसरे से। मुद्दों को सामग्री प्रस्ताव पर तैयार किया गया है,

किसी अन्य पक्ष द्वारा अस्वीकार किया गया। तथ्यों और मुद्दों के मुद्दे हैं

कानून उत्पन्न होता है जो इसके परिणाम पर निर्भर करता है तथ्यों को स्वीकार किया, यह अदालत के लिए खुला है कि वह

स्वीकृत तथ्यों और प्रारंभिक के आधार पर निर्णय

आदेश 14 नियम 2 के प्रावधानों के तहत कानून का प्रश्न। में।

आदेश 14 नियम 2 (1), अदालत प्रारंभिक आधार पर मामले का फैसला कर सकती है। मुद्दा। इसे सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाना होता है। आदेश 14

नियम 2 (2) एक प्रस्थान बनाता है और अदालत प्रश्न का निर्णय ले सकती है।

न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कानून या द्वारा वाद के लिए बनाई गई बाधा

उस समय लागू कोई भी कानून, जैसे कि सीमा के तहत

अधिनियम "।

(जोर दिया गया)

9. शुरुआत में ही यह कहा जाना चाहिए कि जब तक वादी

यदि वह घोषणा प्रदान करने में सफल हो जाता है जिसके तहत 23 अगस्त 1969 को निष्पादित बिक्री विलेख की वैधता को चुनौती दी गई है और स्वर्गीय तेज कौर के पक्ष में वाद संपत्ति का हस्तांतरण किया गया

है, तो अन्य सभी राहत विफल हो जाएंगी और उन्हें प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या यह घोषणा करने के लिए अनुरोध कि 23 अगस्त 1969 का बिक्री विलेख काल्पनिक, बनावटी, अक्षम, बुरा और अवैध होने के कारण अमान्य है, सीमितता से वर्जित है, बिना सबूत के एक कानूनी मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है?

4 रमेश बी. देसाई (ऊपर) में पैराग्राफ 13 और 15 देखें। 5 (2020) 6 एससीसी 557 [2022] 19 एस. सी. आर.

10. सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 586 के अनुसार,

घोषणा के लिए वाद जहां अनुच्छेद 567 और 578 लागू नहीं होते हैं, शिकायत

तीन साल की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए जब पहले मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है। घोषणा के लिए अनुरोध पर अनुच्छेद 58 को लागू करने पर, कि 23 अगस्त 1969 का बिक्री विलेख अमान्य है, 27 मार्च 2012 को 42 साल बाद दायर किया गया मुकदमा स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित है। हालांकि, हालांकि खंड पीठ के विवादित आदेश और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायत, घोषणा की डिक्री के उद्देश्य से कि 23 अगस्त 1969 का बिक्री विलेख अमान्य है, सीमा अधिनियम की धारा 17 पर निर्भर करती है, जो धोखाधड़ी और गलती के प्रभाव से संबंधित है, और पढ़ती हैः

इस अधिनियम के द्वारा,
(क) मुकदमा या आवेदन प्रतिवादी की धोखाधड़ी पर आधारित है।

या प्रत्यर्थी या उसका प्रतिनिधि; या
(ख) उस अधिकार या शीर्षक का ज्ञान जिस पर मुकदमा या आवेदन किया गया है।

उपरोक्त; या (
ग) मुकदमा या आवेदन एक के परिणामों से राहत के लिए है

गलती; या

आवेदक ने धोखाधड़ी या गलती का पता लगाया है या हो सकता है उचित परिश्रम, इसकी खोज की है; या एक के मामले में

दस्तावेज़ को तब तक छिपाएँ जब तक कि वादी या आवेदक के पास पहले नहीं था

छिपाए गए दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने या उसे मजबूर करने का साधन

उत्पादन "।

सामान्य सिद्धांत, जो धारा 17 में भी प्रकट होता है

सीमा अधिनियम, यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में पता है

संपत्ति में कानूनी अधिकार और अधिकार, और यदि वह संपत्ति पर अपने अधिकार और अधिकार का ध्यान नहीं रखता है, तो इसके आधार पर मुकदमा दायर करने का समय

" जारी या पंजीकृत किसी लिखत की जालसाजी घोषित करने के लिए कोई अन्य घोषणा प्राप्त करना। 8 एक घोषणा प्राप्त करने के लिए कि एक कथित गोद लेना अमान्य है, या वास्तव में कभी नहीं हुआ।

सरनपाल कौर आनंद बनाम। प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

संपत्ति पर ऐसा अधिकार या अधिकार उसके खिलाफ चलने से रोका नहीं जाता है। धारा 17 (1) के प्रावधानों में न्याय और समानता के मौलिक सिद्धांत शामिल हैं। कि किसी पक्ष को कानूनी कार्यवाही को अपनाने में विफल रहने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए जब तथ्य या दस्तावेज दिए गए हों।

जानबूझकर उससे छिपाया गया और यह भी कि एक पक्ष जिसने धोखाधड़ी से काम किया था, उसे इस तरह की धोखाधड़ी के आधार पर उसके पक्ष में चलने वाली सीमा का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। हालाँकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 17 सीमा के प्रारंभिक बिंदु को केवल इसलिए स्थगित नहीं करती है क्योंकि प्रतिवादी ने धोखाधड़ी की है। धारा 17 में सभी प्रकार की धोखाधड़ी शामिल नहीं है, लेकिन खंडों द्वारा कवर की गई विशिष्ट परिस्थितियाँ शामिल हैं।

(क) से (घ) सीमा अधिनियम की धारा 17 (1) तक। धारा 17 (1) (बी) और (डी) केवल उन धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों या छिपाने के कार्यों को शामिल करती है

कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक पूर्ववर्ती तथ्य, सीमा की अवधि शुरू होती है। 10 11. इसलिए यदि वादी कोई ऐसा मामला बनाता है जो सीमा अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के चार खंडों में से किसी या अधिक के भीतर आता है, तो वाद दायर करने की सीमा की अवधि तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि वादी या आवेदक धोखाधड़ी/गलती का पता नहीं लगा लेता है या उचित परिश्रम के साथ इसका पता लगा सकता है या यदि दस्तावेज़ को तब तक छुपाया जाता है जब तक कि वादी के पास गुप्त दस्तावेज़ पेश करने या उसे पेश करने के लिए मजबूर करने का साधन न हो।

12. ' सामान्य बोलचाल के एक शब्द के रूप में 'परिश्रम' का अर्थ है ध्यान, सावधानी और कुछ करने के प्रयासों में दृढ़ता। 1 1 यह न्यायालय

चंदर कांता बंसल बनाम। राजिंदर सिंह आनंद, 1 2 ने संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान के संदर्भ में 'परिश्रम' को इस प्रकार परिभाषित किया हैः

“ 16 ..... ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार (एडन। 2006), "परिश्रम" शब्द का अर्थ है सावधानीपूर्वक और निरंतर अनुप्रयोग या प्रयास। " "लगनशील" का अर्थ है अपने काम और कर्तव्यों के लिए सावधानी और निरंतरता, देखभाल और प्रयास दिखाना। काले कानून के अनुसार

शब्दकोश (18 वीं संस्करण), "परिश्रम" का अर्थ है एक निरंतर प्रयास

कुछ पूरा करें, ध्यान रखें; सावधानी रखें; ध्यान दें और देखभाल करें।

किसी दी गई स्थिति में किसी व्यक्ति से आवश्यक है।

9 पल्लव सेठ बनाम। संरक्षक और अन्य, (2001) 7 एस. सी. सी. 549 10 पी. राधा बाई और अन्य बनाम। पी. अशोक कुमार और अन्य, (2019) 13 एस. सी. सी. 445 1 पी. रामनाथ अय्यर, द मेजर लॉ लेक्सिकन (चौथा संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस प्रकाशन) 1 2 (2008) 5 एस. सी. सी. 117।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जिनमें अभिनेता ने अभिनय करने का आह्वान किया था यथोचित रूप से, जानता है या जानना चाहिए। अस्पष्ट संकेत या संकेत मायने नहीं रख सकते हैं। क्या वादी/आवेदक के पास धोखाधड़ी को जानने का साधन था

प्रासंगिक विचार। यह स्पष्ट है कि सीमा अधिनियम की धारा 17 (1) किसी पक्ष को उचित परिश्रम करने में विफलता के लिए दोषी नहीं ठहराती है, जब परिस्थितियां ऐसी कवायद की मांग करती हैं और जिसका अभ्यास करने पर वादी/आवेदक धोखाधड़ी का पता लगा सकता है। जब समय शुरू होता है तो बाद की घटनाएं सीमा को नहीं रोकेंगी। समय धोखाधड़ी/गलती की जानकारी की तारीख से शुरू होता है; या वादी/आवेदक को जब उचित परिश्रम करने की आवश्यकता होती है तो उसे पहले धोखाधड़ी या गलती का पता चल सकता है या पता चल सकता है। किसी छिपे हुए दस्तावेज़ के मामले में, सीमा की अवधि तब चलने लगेगी जब वादी/आवेदक के पास छिपे हुए दस्तावेज़ को पेश करने या उसे पेश करने के लिए मजबूर करने का साधन होगा।

जिसे उन्होंने धोखाधड़ी या गलती का पता लगाया है, और यह भी कहा है कि वह उस तारीख से पहले उचित परिश्रम के साथ धोखाधड़ी या गलती का पता नहीं लगा सकते थे, जिस पर उन्होंने अपनी कार्रवाई के कारण को आधारित किया है। 14. धोखाधड़ी और सीमा कानून से छूट से संबंधित अभिवचन के नियम आदेश VI नियम 413 और आदेश VII नियम 6 1 4 में निर्धारित किए गए हैं।

कोड। आदेश VI नियम 4 में कहा गया है कि उन सभी मामलों में जहां एक पक्ष धोखाधड़ी पर निर्भर करता है, तारीख और वस्तु के संबंध में विवरण, यदि आवश्यक हो, तो अभिवचनों में कहा जाएगा। शिकायत में आरोप लगाए गए धोखाधड़ी में उन तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए जो समग्र रूप से लिए जाने पर, यदि साबित हो जाते हैं, तो धोखाधड़ी को दिखाएंगे और स्थापित करेंगे। धोखाधड़ी की दलील स्पष्ट होनी चाहिए 13 " आदेश VI नियम 4। जहाँ आवश्यक हो वहाँ विवरण दिए जाने चाहिए। उन सभी मामलों में जिनमें पक्षकार अभिवचन किसी भी गलत निरूपण, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जानबूझकर चूक, या अनुचित प्रभाव पर निर्भर करता है, और अन्य सभी मामलों में जिनमें विवरण आवश्यक हो सकते हैं, जिनके उदाहरण उपरोक्त प्रपत्रों में दिए गए हैं, विवरण (यदि आवश्यक हो तो तिथियों और वस्तुओं के साथ) अभिवचन में बताए जाएंगे।

1 4 "आदेश VII नियम 6। सीमा कानून से छूट के आधार। -जहां परिसीमा विधि द्वारा विहित अवधि की समाप्ति के बाद वाद स्थापित किया जाता है, वहां वाद वह आधार दिखाएगा जिसके आधार पर ऐसी विधि से छूट का दावा किया जाता हैः

बशर्ते कि न्यायालय वादी को किसी भी आधार पर सीमा कानून से छूट का दावा करने की अनुमति दे सकता है जो वाद में निर्धारित नहीं है, यदि ऐसा आधार वाद में निर्धारित आधारों के साथ असंगत नहीं है। सरनपाल कौर आनंद बनाम।

प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

और स्पष्ट है, और केवल संदेह और अनुमान पर आधारित नहीं होना चाहिए। बेशक, अदालत को प्रारंभिक चरण में आदेश VII नियम 11 के खंड (डी) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय डिमरर्र के तहत आगे बढ़ना होता है, और इसलिए, उसे वाद में आरोप लगाए गए तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन किसी दिए गए मामले में बताए गए तथ्यों से अकाट्य निष्कर्ष निकाल सकता है। संहिता के आदेश VII नियम 6 में वादी से उन आधारों को दिखाने की आवश्यकता है जिन पर सीमा कानून से छूट का दावा किया जाता है, और वादी को ऐसी छूटों का दावा करने के लिए आधार निर्धारित करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वादी को उन कारणों या कारणों या विशेषताओं या आधार को बताना चाहिए, जिनके आधार पर, वादी के अनुसार, एक अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए। वाद में पाठ विशिष्ट होना चाहिए और संहिता के आदेश VI नियम 4 की शर्तों का पालन करना चाहिए। आदेश VI नियम 6 उदार और लचीला है क्योंकि यह अनिवार्य करते हुए कि सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद स्थापित एक मुकदमे में उन आधारों को बताना चाहिए जिन पर छूट का दावा किया जाता है, वादी को एक 'आधार' पर भरोसा करने की अनुमति देता है जो वादी में निर्धारित आधार से असंगत नहीं है। परंतुक इस आवश्यकता को रद्द नहीं करता है कि सबसे पहले वादी को सीमा से छूट की मांग करने का आधार निर्धारित करना चाहिए। आदेश VII नियम 6 और आदेश VI नियम 4 कब और किस हद तक लागू होते हैं, ये प्रावधान विशिष्ट होने के कारण संहिता के आदेश VI नियम 2 में पाए जाने वाले सामान्य नियम पर प्रबल होंगे।

फिर भी, नियमों की आवश्यकता विशिष्ट तथ्यों को प्रस्तुत करना है

तारीखों के साथ, लेकिन तथ्यात्मक साक्ष्य के साथ नहीं, जिसके आधार पर वादी अंततः सीमा की छूट के लिए अपने दावे को स्थापित करने और उचित ठहराने की कोशिश करेगा। जब आदेश VI नियम 4 और आदेश VII नियम 6 के संदर्भ में आवश्यक न्यूनतम सीमा पूरी हो जाती है और पूरी हो जाती है, तो

स्ट्रेटजैकेट या कठोर सूत्र, क्योंकि यह तथ्यों पर निर्भर करेगा और

पूर्ववर्ती तथ्यों सहित परिस्थितियाँ, और विशेष रूप से पक्षों या उनके पूर्ववर्तियों के बीच संबंध और बिना किसी चुनौती के बीत चुकी अवधि। इन पहलुओं की जांच करते समय, विशेष रूप से प्रारंभिक चरण में नियम 11 के खंड (डी) से आदेश VII या संहिता के आदेश XIV नियम 2 के तहत, अदालत इस धारणा के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकती है कि साक्ष्य के आधार पर क्या किया जाएगा ताकि साक्ष्य पर निष्कर्ष दर्ज किया जा सके। साथ ही, एक कलाकृति या चतुर मसौदा तैयार करने से अदालत को स्पष्ट रूप से समय-प्रतिबंधित कार्यवाही को रोकने से नहीं रोकना चाहिए, एक ऐसा पहलू जिसे हम बाद में फिर से विज्ञापित करेंगे। न्यायालय आदेश XII नियम 6 1 5 का लाभ उठा सकता है। 1 5 "आदेश XII नियम 6। प्रवेश पर निर्णय। — (1) जहां अभिवचन में या अन्यथा, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में तथ्य का स्वीकार किया गया हो, न्यायालय मुकदमे के किसी भी स्तर पर, या तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर और निर्धारण [2022] 19 एस. सी. आर. की प्रतीक्षा किए बिना कर सकता है।

संहिता की जब वादी द्वारा शिकायत और दस्तावेजों में प्रवेश किया जाता है जो पक्षों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, या कोई नहीं होता है

विवाद जिसके लिए दस्तावेजों के संदर्भ में मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता होगी। आदेश VII नियम 11 के प्रावधानों को लागू करने के खिलाफ कोई रोक नहीं है और

आदेश XIV नियम 2 को एक साथ, या यहां तक कि आदेश XII नियम 6 को डिमररर के साथ आगे बढ़ते समय लागू करना। संहिता के प्रावधान जलरोधक खंड नहीं हैं, जब तक कि इस तरह का वैधानिक निर्माण स्पष्ट या स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हो। हम बाधाओं के अभाव में, प्रक्रियात्मक कानून के अनुप्रयोग में निचली अदालत या अपीलीय अदालत के लचीलेपन से इनकार नहीं करेंगे। निर्धारित करने की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य आगे बढ़ना है न्याय का कारण। इसलिए जब तक स्पष्ट भाषा या किसी पाठ्यक्रम को बाधित करने वाले स्पष्ट इरादे से मजबूर नहीं किया जाता है, तब तक संहिता के प्रावधानों को एक प्रक्रियात्मक अधिनियम के रूप में न्याय के उद्देश्यों में स्थितियों से निपटने के लिए अदालत को छोड़ने के लिए समझा जाना चाहिए।

15. कानूनी स्थिति को संक्षेप में स्पष्ट करने के बाद, अब हम कुछ विस्तार से वाद में किए गए कथनों का उल्लेख करेंगेः

15.1 वाद के प्रारंभिक पैराग्राफ में कहा गया है कि वादी और प्रतिवादी संख्या। 3 9 तक भाई, बहन और दिवंगत भाई की पत्नी और बेटों के रूप में एक-दूसरे से संबंधित हैं। वे हरनाम सिंह आनंद और हरबंस कौर के परिवार से हैं, जिनका 23 सितंबर को निधन हो गया था।

1974 और क्रमशः 6 अगस्त 2005। प्रतिवादी नंबर 1, प्रद्युम्न सिंह चंदोक, स्वर्गीय हरबंस कौर के भाई हैं। प्रतिवादी सं. 2,

परविंदर सिंह चंढोक, प्रतिवादी नंबर 1 का बेटा है और वादी का चचेरा भाई भी है। हरनाम सिंह आनंद के निधन से पहले, दोनों भारत में समृद्ध संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय और प्रतिष्ठान थे।

और ईरान। उन्होंने अपनी पत्नी हरबंस कौर के नाम पर सूट संपत्ति सहित विभिन्न संपत्तियों को एक राम रतन से 20 जनवरी 1958 के बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा था और 17 फरवरी 1958 को उप-पंजीयक कार्यालय, दिल्ली में पंजीकृत किया था। यह माना जाता है कि मुक़दमे की संपत्ति हरनाम सिंह आनंद की बेनामी संपत्ति है। वादी और प्रतिवादी सं। 3 9 तक, उत्तराधिकारी होने के नाते-ब्याज में, उत्तराधिकार के कानून के तहत वाद संपत्ति में अपने-अपने शेयरों के हकदार हैं। खरीद के समय, सूट संपत्ति थी

पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रश्न के संबंध में, ऐसे प्रवेशों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा आदेश दें या ऐसा निर्णय दें जो वह उचित समझे।

" (2) जब भी उप-नियम (1) के तहत कोई निर्णय सुनाया जाता है तो निर्णय के अनुसार एक डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वह तारीख होगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया था। सरनपाल कौर आनंद बनाम।

कई किरायेदारों की किरायेदारी के तहत जिन्हें किराया देने का निर्देश दिया गया था और जो हरबंस कौर के अधीन थे। हालाँकि, हरबंस कौर केवल सूट संपत्ति की प्रत्यक्ष और बेनामी मालिक थीं और उनके पास कभी भी कोई अधिकार, ब्याज या उपाधि नहीं थी।

15.2 हरबंस कौर अपनी माँ तेज कौर और उनके भाई, प्रतिवादी नंबर 1 के बहुत करीब थीं। उनकी मदद करने के लिए, और एक रियायत के रूप में, उन्होंने तेज कौर और प्रतिवादी संख्या को अनुमति दी थी। 1 और 2 मुकदमे की संपत्ति में अस्थायी रूप से रहने के लिए। तेज कौर के पास अपना और अपने परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण करने का कोई साधन नहीं था, जिसमें प्रतिवादी संख्या। 1 और 2. हरबंस कौर, अपनी माँ तेज कौर और उसके परिवार के सदस्यों को प्रतिवादी संख्या सहित बनाने के लिए। 1 और 2, अपनी वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए सूट संपत्ति में रहें, किरायेदारों के साथ बातचीत की थी और पर्याप्त भुगतान किया था यह किरायेदारों को संपत्ति खाली करने के लिए मनाने के बराबर है। हरबंस कौर ने उन किरायेदारों के खिलाफ कई बेदखली याचिकाएं दायर की थीं जिन्होंने खाली करने से इनकार कर दिया था। 24 जुलाई 2007 को तेज कौर का निधन हो गया। हालाँकि, प्रतिवादी सं। 1 और 2, तेज कौर की मृत्यु के बाद, रहना जारी रखा और उसके बाद, अनुरोध के बावजूद, सूट संपत्ति को खाली करने से इनकार कर दिया। तेज कौर थीं

बिना किसी अधिकार, ब्याज या अधिकार के वाद संपत्ति में रहने के लिए अनुमेय और सीमित रियायत प्रदान की गई।

15.3 शिकायत में यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ईरान में हरनाम सिंह आनंद की नौकरी में था। ऐसा प्रतिवादी नं.

1 आजीविका कमाने और जीवन में बने रहने के लिए और अपने परिवार को सम्मान के साथ बनाए रखने के लिए। प्रतिवादी सं। 1 और 2 ईरान में व्यावसायिक गतिविधियों और मामलों में गहराई से शामिल थे।

15.4 शिकायत का अनुच्छेद 8, जो कुछ महत्व का है, पढ़ता है

निम्नानुसारः

" 8. कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है कि (i) श्रीमती. हरबंस कौर कभी भी सूट संपत्ति की मालिक नहीं थीं, (ii) वास्तव में और कानूनी रूप से श्री। हरनाम सिंह इसके मालिक थे, (3) श्रीमती हरबंस कौर के पास कभी कोई अधिकार या अधिकार नहीं था या (iv) श्रीमती तेज कौर को रहने का अधिकार दिया गया था जो केवल एक अनुमेय उपयोग था और वह भी उनके जीवनकाल के दौरान। मृत्यु पर

श्रीमती तेज कौर और/या श्रीमती हरबंस कौर ने कहा कि अनुमति का उपयोग समाप्त हो गया, (v) श्रीमती हरबंस कौर को कभी भी उनके द्वारा या उनके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के माध्यम से खिताब हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था। इसके दो अंग होते हैं।

सबसे पहले श्रीमती हरबंस कौर को कभी भी उपाधि नहीं मिली। दूसरा उन्हें कभी भी स्थानांतरण का कोई अधिकार नहीं था, तीसरा उनके पास कोई योग्यता नहीं थी [2022] 19 एस. सी. आर.

कथित बिक्री विलेख के निष्पादन के समय कभी भी प्रतिफल का भुगतान किया जाता था और विलेख की शर्तों का कभी भी पालन नहीं किया जाता था। यह एक आकस्मिक समझौता था जिसे पूरा नहीं किया जाता है और इस प्रकार यह इसके तहत कोई अधिकार या शीर्षक या ब्याज नहीं देता है या पैदा नहीं करता है। बिक्री विलेख गलत, अवैध और अमान्य दस्तावेज है। यह मृतक श्रीमती तेज कौर और/या प्रतिवादी 1 और 2 के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाता है। इसलिए वादी ने उक्त बिक्री विलेख के संबंध में एक घोषणा की है और इसे रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की है और अंत में (vii) श्रीमती हरबंस कौर और/या श्रीमती तेज कौर की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी 1 और 2 कानूनी रूप से सूट संपत्ति के खाली शांतिपूर्ण कब्जे को सौंपने के लिए बाध्य थे जब ऐसा करने के लिए कहा गया था जो वे विफल रहे हैं। उनका कब्जा पूरी तरह से अवैध, गैरकानूनी और अनधिकृत है और वे शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। अवैध/गैरकानूनी और अनधिकृत उपयोग और व्यवसाय/धन/लाभ/नुकसान के लिए। ये शुल्क कब्जे की तारीख से वादी और उसके परिवार के सदस्यों को सूट संपत्ति के खाली शांतिपूर्ण कब्जे के वितरण की तारीख तक देय हैं। वर्तमान मामले में प्रतिवादी 1 और 2 द्वारा स्वीकार्य और देय नुकसान/अन्य लाभों की मात्रा निर्धारित करने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है।

15.5 शिकायत के पैराग्राफ 12,13,14 को नीचे पढ़ा गया हैः

" 12. कि वादी को अब हाल ही में पता चला है कि श्रीमती। तेज कौर ने प्रतिवादी 1 और 2 के साथ मिलकर लालच से प्रेरित होकर श्रीमती द्वारा व्यक्त विश्वास और विश्वास का अनुचित लाभ उठाया। हरबंस कौर ने वादी की संपत्ति और संपत्तियों को हड़पने की साजिश रची

परिवार। स्वर्गीय श्रीमती. तेज कौर और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने धोखाधड़ी और धोखे से स्वर्गीय श्रीमती से हस्ताक्षर किए। हरबंस कौर ने अपने वकील प्रतिवादी संख्या 3 के माध्यम से एक दस्तावेज जो दिनांकित बिक्री विलेख होने का दावा करता है, जिसमें श्रीमती के पक्ष में उक्त संपत्ति में अधिकार/ब्याज/स्वामित्व को हस्तांतरित/व्यक्त करने की मांग की गई है। रुपये के कथित विचार के खिलाफ तेज कौर। 90,000 / - और झूठा आरोप लगाते हुए कि रु। 20,000 / - अग्रिम के रूप में और रु। 30,000 / - उप-पंजीयक, दिल्ली के समक्ष भुगतान किया जाएगा और शेष रु। 40,000 / - चार वर्षों में समान 4 किश्तों में भुगतान किया जाएगा।

न केवल दस्तावेज़ सरनपाल कौर आनंद बनाम। प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य [संजीव खन्ना, जे।] बनाए गए नकली, काल्पनिक, नकली, कानून में अप्रासंगिक हैं लेकिन

कथित संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में काल्पनिक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 04.04.1982। वह दिनांक 23.08.1969 स्वर्गीय श्रीमती के काल्पनिक बिक्री विलेख के अनुसार है। तेज कौर ने कथित रूप से पूर्व-कथित संपत्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में दिनांकित 12.10.1995 का एक बिक्री विलेख होने का दावा करते हुए दस्तावेज़ बनाया।

रु. 4,00,000 / - . यह पूरी तरह से और पूरी तरह से अवैध, अमान्य, गैर-कानूनी, धोखाधड़ी, नकली और फर्जी लेनदेन है। नहीं।

वादी के परिवार के सदस्यों द्वारा किसी भी तरह से विचार प्राप्त किया गया था और न ही उसके परिवार के सदस्यों द्वारा लेन-देन की अनुमति या पुष्टि की गई थी।

14. यह उल्लेख करना उचित है कि वादी को सी. एम. में इस माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियों से आगे पता चला है। (मुख्य) 2004 की सं. 982 कि उक्त कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान श्रीमती. तेज कौर को 24.07.2007 पर पदच्युत कर दिया गया और प्रतिवादी संख्या 1 ने आदेश 22 नियम 3 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पढ़ा गया, जिसे सी. एम. के रूप में पंजीकृत किया गया।

2008 का सं. 5848 मृतक श्रीमती के एल. आर. को शामिल करने की मांग करता है। तेज कौर, जिसमें उन्होंने श्रीमती द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 03.05.2007 की प्रति को अभिलेख में रखा था। तेज कौर कथित तौर पर उक्त संपत्ति के अनन्य और एकमात्र मालिक होने का दावा करती है। कथित काल्पनिक बिक्री विलेख दिनांक 23.08.1969 के माध्यम से खरीदा गया

27.08.1969 और वसीयत [2022] 19 एस. सी. आर. पर पंजीकृत होने का दावा किया गया।

वही प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में है जो कथित नकली/अवैध और अमान्य के लिए पूरी तरह से विरोधाभासी है।

ऊपर दिया गया लेन-देन "।

हरबंस कौर द्वारा संपत्ति के दुरुपयोग के लिए दायर बेदखली की कार्यवाही किरायेदारों में से किसी एक द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए। इस मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए किराया नियंत्रक को भेज दिया गया था। इसके बाद, किरायेदारों में से एक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में किराया नियंत्रक के आदेश के खिलाफ दूसरी अपील दायर की थी। 2004 में, तेज कौर ने किराया नियंत्रक द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका भी दायर की थी। तेज कौर की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने 3 मई 2007 की वसीयत का खुलासा करते हुए और उस पर भरोसा करते हुए एक कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अभियोग लगाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। उक्त वसीयत के संदर्भ में,

प्रतिवादी संख्या 1 मुकदमे की संपत्ति का एकमात्र और अनन्य मालिक बन गया था। यह कहा गया है कि वसीयत 12 तारीख के बिक्री विलेख का उल्लेख नहीं करती है।

अक्टूबर 1995 और बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तेज कौर द्वारा फांसी दिए जाने का दावा करता है। वादी उक्त में उपस्थित हुआ था

अखबार में नोटिसों के प्रकाशन के बाद कार्यवाही और यह दावा करते हुए प्रार्थना का विरोध किया कि वह भी एक कानूनी प्रतिनिधि है, जो हरबंस कौर की बेटी है। इसके तुरंत बाद, प्रतिवादी सं। 1 और 2

किरायेदार के साथ मामले में समझौता किया। अनुच्छेद के तहत दायर याचिका 227 प्रतिवादी संख्या द्वारा वापस ले लिया गया था। 1 और 2, लेकिन अदालत ने 29 सितंबर 2008 के आदेश के माध्यम से हरबंस कौर के कानूनी प्रतिनिधि को दावा/अधिकार उठाने की स्वतंत्रता दी थी।

कार्यवाही होती है। किरायेदार द्वारा दायर पहली अपील भी उसी दिन वापस ले ली गई थी। यह दलील दी जाती है कि हरबंस कौर ने जारी रखा था

किरायेदारों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही का मुकदमा चलाया गया और अधिकारों का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि हरबंस कौर ने अपने साथ सभी अधिकार बनाए रखे थे। किराया नियंत्रक द्वारा तेज कौर के खिलाफ स्वामित्व पर न्यायिक निष्कर्ष थे जिनके खिलाफ बिक्री लेनदेन करने या समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे, और यह अनिर्णायक रहा। यह कहा जाता है कि तेज कौर ने कभी भी संपत्ति में कोई अधिकार या अधिकार हासिल नहीं किया था, जिसके कारण हरबंस कौर को हमेशा एक मालिक और मकान मालिक के रूप में बेदखली की कार्यवाही में एक पक्षकार बना रहा।

15.7 शिकायत के पैराग्राफ 19 से 21 में वादी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिवादी Nos.1 और 2 पर प्रतिवादी संख्या 3 सहित 10 अक्टूबर 2008 को दिए गए कानूनी नोटिस का उल्लेख किया गया है। सरनपाल कौर आनंद बनाम को दिया गया उत्तर।

प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

दिनांक 15 अक्टूबर 2008 को प्रतिवादी Nos.1 और 2 द्वारा विवरण प्रस्तुत किए बिना; 24 अक्टूबर 2008 को प्रत्युत्तर, जिसके बाद 24 अक्टूबर 2008 को प्रतिवादी संख्या को विशिष्ट कानूनी नोटिस दिया गया। 1 और 2; और दिनांक 4 नवंबर 2008 का जवाब, जो फिर से प्रदान किए बिना था कोई भी विवरण या दस्तावेज। हम बाद में इन पत्रों/कानूनी नोटिसों का उल्लेख करेंगे क्योंकि वे पर्याप्त महत्व और प्रासंगिकता के हैं। यह दलील दी जाती है कि प्रतिवादी सं। 1 और 2, अवैध रूप से और मनमाने ढंग से कार्य करते हुए, प्रतिवादी संख्या को उकसाया और प्रेरित किया है। 6 8, अर्थात् दमनपाल कौर आनंद, जसप्रित सिंह आनंद और गुरसीमार सिंह आनंद (वादी के भाई स्वर्गीय कुल्तारन सिंह आनंद की पत्नी और बच्चे), परिवार को विभाजित करने के लिए झूठे, असंगत दावे और मुद्दे उठाने और उन्हें मुकदमेबाजी में घसीटने के लिए। प्रतिवादी संख्या के कहने और आग्रह पर। 1 और 2, प्रतिवादी संख्या। 6 8 ने कई कार्यवाही शुरू की है

वादी, उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ, जो अभी भी लंबित हैं। ऐसी ही एक कार्यवाही में, प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर लिखित बयान से। 7 और 16 दिसंबर 2010 को, वादी को पहली बार हरबंस कौर द्वारा तेज कौर को सूट संपत्ति की कथित बिक्री के बारे में अस्पष्ट रूप से पता चला। वादी और परिवार के अन्य सदस्य पूरी तरह से हैरान और आश्चर्यचकित थे और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या के इरादों के बारे में संदेह हो गया। 1 और 2. इसके बाद, वादी ने विभिन्न अदालती कार्यवाही की पूछताछ की, जो लंबित थी और मामलों का निपटारा किया। जबकि उप के कार्यालय में की गई ऐसी ही एक जांच में

पंजीयक, दिल्ली, उन्हें प्रतिवादी संख्या द्वारा किए गए काल्पनिक, नकली, अवैध, धोखाधड़ी वाले लेनदेन के बारे में पता चला। 1 और 2.

15.8 पैराग्राफ संख्या। 22 और शिकायत के 33 में कहा गया है कि वादी पूरी तरह से अंधेरे में था और उसे दिनांकित बिक्री विलेख की कोई जानकारी नहीं थी

23 अगस्त 1969 और उसके बाद 12 अक्टूबर 1995 का बिक्री विलेख। कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख के बारे में, शिकायत में कहा गया हैः

कौर और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 जैसा कि ऊपर बताया गया है। वादी या यहाँ तक कि उसकी माँ श्रीमती। हरबंस कौर मृतक को किसी भी समय इस बारे में या उनकी सहमति के बारे में सूचित नहीं किया गया था या यहां तक कि कथित अवैध और नकली डीड ऑफ सेल दिनांक 23.08.1969 में उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त नहीं किए गए थे।
यह दावा किया जाता है कि यह 27.08.1969 या यहाँ तक कि बाद के कथित काल्पनिक दस्तावेजों/बिक्री विलेखों दिनांक [2022] 19 एस. सी. आर. पर पंजीकृत किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.10.1995 और विल दिनांकित 30.05.2007 जो शून्य और शून्य है

शुरुआत में शून्य और धोखाधड़ी होने के कारण कोई अधिकार/ब्याज/अधिकार नहीं है

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 या यहां तक कि श्रीमती। तेज कौर किसी भी तरह से

किसी भी समय और इस प्रकार के अधिकार/ब्याज/शीर्षक को प्रभावित नहीं करता है

वादी और उसके परिवार के सदस्यों को स्वामित्व, आनंद और अधिकार एक ही।

XX

XX

XX

33. कि कार्रवाई का कारण पहले 23.08.1969 पर उत्पन्न हुआ कथित काल्पनिक बिक्री होने पर 27.08.1969 पर पंजीकृत किया जाए

स्वर्गीय हरबंस कौर ने स्वर्गीय श्रीमती के पक्ष में विलेख निष्पादित किया था। विषय संपत्ति के संबंध में तेज कौर। यह फिर से उठा

04.05.1982 जब कथित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी था प्रतिवादी नं. के पक्ष में स्वर्गीय तेज कौर द्वारा निष्पादित। 1. यह फिर से

12.10.1995 पर उत्पन्न हुआ जब कथित काल्पनिक बिक्री विलेख था

स्वर्गीय श्रीमती द्वारा निष्पादित। तेज कौर प्रतिवादी नं. 2 में

विषय संपत्ति का सम्मान। कार्रवाई का कारण आगे सामने आया

30.05.2007 पर जब विषय को वसीयत किया जाएगा

संपत्ति का निष्पादन श्रीमती द्वारा किया गया था। तेज कौर प्रतिवादी के पक्ष में दिनांकित कथित काल्पनिक बिक्री विलेख के आधार पर सं. 2

23.08.1969 27.08.1969 पर पंजीकृत होने का दावा किया गया। इसका कारण

10.10.2008,24.10.2008 पर फिर से कार्रवाई हुई, जब

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 जब स्वीकार करने और स्वीकार करने के लिए कहा जाता है

वादी और उसके परिवार के सदस्यों के अधिकार/ब्याज/अधिकार

और जवाब के माध्यम से अस्वीकार की गई मुकदमे की संपत्ति का कब्जा सौंप दें

दिनांकित 15.10.2008 और 04.11.2008 ". 16

वादी ने संहिता के आदेश VI नियम 17 (2014 का आई. ए. संख्या 50) के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कम किए गए अतिरिक्त तथ्यों को शामिल करके शिकायत के पैराग्राफ 33 में संशोधन करने की मांग की गई थीः

" कार्रवाई का कारण आगे 27.02.2012 और 29.02.2012/15.06.2012 पर सामने आया। जब वादी को प्रतिवादियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के बारे में पता चलता है

कथित बिक्री विलेखों के अवैध/गैरकानूनी निर्माण का सहारा लेने में Nos.1 और 2 लागू किया गया

और दिनांकित कथित बिक्री विलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कीं 12.10.1995 और

से क्रमशः 27.08.1969 पर पंजीकृत कथित बिक्री विलेख दिनांक 23.08.1969

उप-पंजीयक, दिल्ली का कार्यालय में किए गए खुलासों के अनुसार

(ओ. एस.) 2010 का सं. 1677 जिसका शीर्षक गुरदेव सिंह आनंद और अन्य है। वी. जसप्रित सिंह आनंद और अन्र। , कानूनी नोटिस और प्राप्त प्रतिक्रियाएं और व्यापक पूछताछ /

दिल्ली के उप-पंजीयक के कार्यालय में तलाशी ली गई।

ई अतिरिक्त तथ्य, जैसा कि उल्लेख किया गया है, वर्तमान में कोई फर्क नहीं डालेंगे।

इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि वादी को सरनपाल कौर आनंद बनाम के निष्पादन के बारे में जानकारी थी।

प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

15.9 वादी के पैराग्राफ 23 से 28 में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या। 1 और 2, तेज कौर के साथ, एक दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादा था वादी और उसके परिवार की वाद संपत्ति और संपत्तियों को हड़पना

सदस्य। प्रतिवादी सं। 1 और उनके कब्जे में कुछ खाली कागजात और अन्य संपत्तियों के अन्य दस्तावेज हैं जिन पर कथित रूप से उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। हरबंस कौर और वादी के परिवार के अन्य सदस्य और तेज कौर, और जिसके आधार पर वे अब नकली दस्तावेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरबंस कौर द्वारा तेज कौर के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख और तेज कौर द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख अमान्य है, जो धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैधता आदि द्वारा दूषित किया जा रहा है और इस प्रकार, कानून में अप्रासंगिक है। ऐसा माना जाता है कि हरबंस कौर तेज कौर के पक्ष में इससे बेहतर खिताब हस्तांतरित नहीं कर सकती थीं, और इसके अलावा, तेज कौर इससे बेहतर खिताब हस्तांतरित नहीं कर सकती थीं। बिक्री विलेख भी बिना विचार के होने के आधार पर धोखाधड़ी वाले हैं। वे प्रतिवादी संख्या द्वारा रची गई साजिश का परिणाम हैं। 1 और 2 अपने बीच हरबंस कौर और तेज कौर के साथ वैध को हड़पने के एकमात्र और सस्ते उद्देश्य के साथ

वादी और प्रतिवादी का स्वामित्व और अधिकार सं। 3 9 तक। वादी की मृत माँ का कभी भी तेज कौर के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित करने का कोई इरादा या उद्देश्य या आवश्यकता नहीं थी। प्रतिवादी सं। 1 और 2 अनुमेय कब्जे में हैं, जिन्हें स्वर्गीय तेज कौर के माध्यम से संपत्ति का उपयोग करने और उस पर कब्जा करने के सीमित और प्रतिबंधित अधिकार हैं। द.

उनके द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व, स्वामित्व और ब्याज का दावा दस्तावेजों, उत्परिवर्तन, आदि पर आधारित है, जो कानून में अप्रासंगिक हैं, मान्य नहीं हैं, धोखाधड़ी, जालसाजी, मनगढ़ंत, गलत निरूपण, आदि का मनगढ़ंत कार्य है। प्रतिवादी सं। 1 और 2 वाद संपत्ति से हटाने के लिए उत्तरदायी हैं, एक बार अनुमति देने वाला कब्जा देने का उद्देश्य और उद्देश्य, उपयोग करने और वाद परिसर पर कब्जा करने का प्रतिबंधित और सीमित अधिकार पूरा हो गया है। यह दावा किया जाता है कि वादी वसूली की मांग करने का हकदार है रुपये की दर से अच्छा मुनाफा। 1 प्रति वर्ष एक लाख रुपये या प्रतिवादी संख्या से अदालतों द्वारा निर्धारित ऐसी दर। 1 और 2 अवैध, गैरकानूनी और

मुक़दमे की संपत्ति का अनधिकृत उपयोग और कब्जा।

16. तेज कौर के पक्ष में 23 अगस्त 1969 का बिक्री विलेख

हरबंस कौर के वकील के रूप में बलदेव सिंह आनंद द्वारा फांसी दी गई थी। मुकदमे में तीसरे प्रतिवादी, गुरदेव सिंह आनंद, का भाई है। 23 अगस्त 1969 का बिक्री विलेख, यदि पहले नहीं तो कम से कम 2008 में। यह भी स्पष्ट है कि वह 23 अगस्त 1969 के विक्रय विलेख के निष्पादन से संबंधित दिए गए तथ्यों में उचित परिश्रम कर सकती थी, जैसा कि शिकायत में कहा गया है, सुनिश्चित और ज्ञात तथ्य।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वादी। बिक्री विलेख का निष्पादन और अपनी मां हरबंस कौर के वकील के रूप में कार्य कर रहे गुरदेव सिंह आनंद के हस्ताक्षर निर्विवाद हैं। बिक्री विलेख एक पंजीकृत दस्तावेज है। शिकायत स्वीकार करती है कि बिक्री Rs.90,000/- के विचार के लिए थी। बिक्री विलेख में कहा गया है कि Rs.20,000/- अग्रिम रूप से प्राप्त किया गया था और Rs.30,000/- का भुगतान उप-पंजीयक के समक्ष किया गया था। Rs.40,000/- की शेष राशि का भुगतान विक्रेता द्वारा चार समान मासिक किश्तों में किया जाना था। शिकायत में यह नहीं बताया गया है कि Rs.40,000/- की वसूली के लिए कोई मुकदमा या कार्यवाही शुरू की गई थी या नहीं। Rs.40,000/- की वसूली के लिए किसी भी मुकदमे या कार्यवाही को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। बिक्री विलेख में उल्लेख किया गया है कि

फांसी हरबंस कौर तेहरान, ईरान में मौजूद थी, और इसलिए, उसे बेटा गुरदेव सिंह आनंद, जो वादी का भाई है, एक वकील के रूप में,

23 अगस्त 1969 को प्रमाणित स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा अधिकृत बिक्री विलेख को निष्पादित कर रहा था। इन तथ्यों को फिर से चुनौती नहीं दी गई है और शिकायत में चुनौती नहीं दी गई है। 23 अगस्त 1969 का बिक्री विलेख तीस साल से अधिक पुराना है, और हरबंस कौर या तेज के जीवनकाल के दौरान

कौर इसे कभी भी हरबंस कौर या किसी ने चुनौती नहीं दी और सवाल नहीं किया।

उनके परिवार के सदस्य। साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के संदर्भ में, यह धारणा है कि हस्ताक्षर और दस्तावेज़ का हर दूसरा हिस्सा, इसका निष्पादन और सत्यापन उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनके द्वारा यह किया जाना अभिप्रेत है।

निष्पादित और प्रमाणित।

17. 10 अक्टूबर 2008 के कानूनी नोटिस में कहा गया है कि स्वर्गीय हरबंस

कौर ने अपनी शादी के बाद, स्वर्गीय तेज कौर और उनके बेटे प्रद्युम्न सिंह चंदोक को पहला प्रतिवादी स्थापित करने के लिए कदम उठाए। मुकदमे की संपत्ति के संबंध में 10 अक्टूबर 2008 के कानूनी नोटिस में कहा गया हैः

" 3. वास्तव में संपत्ति संख्या 4-सी/7, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली

110005 श्रीमती द्वारा दिया गया था। हरबंस कौर ने अपनी माँ सुश्री.

तेज कौर और उन्होंने अपने भाई को स्थापित करने के लिए सभी कदम उठाए। प्रद्युम्न सिंह चंढोक। श्रीमती. हरबंस कौर ने अपने भाई को बसाया

उसे विभिन्न व्यवसायों के प्रबंधन का काम सौंपकर और

ईरान में उनके दिवंगत पति श्री हरनाम सिंह की संपत्ति और

कहीं और।

4. चूंकि सुश्री तेज कौर की निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी, इसलिए सुश्री हरबंस कौर कानूनी रूप से

सुश्री तेज कौर की संपत्ति में अपने हिस्से के साथ अन्य

शेष कानूनी उत्तराधिकारी, प्रद्युम्न सिंह, चंदोक और अन्य। उसका।

संपत्ति का हिस्सा संयुक्त और अविभाजित है और इसका उत्तराधिकारी बनना है।

मेरे ग्राहकों पर संयुक्त रूप से "।

XX

XX

" 9 (iii) मेरे सभी ग्राहक उनके बेटों की बेटियाँ और पोते हैं। मृतक सुश्री हरबंस कौर संयुक्त रूप से हकदार हैं और उनके पास हैं

सुश्री तेज कौर की संपत्ति के संयुक्त अविभाजित हिस्से के दावे

सुश्री हरबंस कौर द्वारा या उनके अधीन या उनके माध्यम से और आगे सूचित करें कि

वे अब एकता और अधिकार रखने में रुचि नहीं रखते हैं

सुश्री तेज कौर की उक्त संपत्ति में। "

24 अक्टूबर 2008 की कानूनी सूचना में कहा गया है:

" 3. श्रीमती हरबंस कौर की श्री हरनाम सिंह से शादी के बाद,

उसने अपनी माँ और भाई के लिए घर स्थापित करने के लिए सभी कदम उठाए (देर से)

सुश्री तेज कौर और उनके बेटे-नोटिस नंबर/1) को आगे बढ़ाते हुए,

संपत्ति संख्या 4-सी/7 न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली 110005

श्रीमती द्वारा दिया गया था। हरबंस कौर अपनी माँ सुश्री तेज के साथ

कौर और उन्होंने भी अपने भाई को स्थापित करने के लिए सभी कदम उठाए।

सूचना संख्या. 1. श्रीमती. हरबंस कौर ने अपने भाई को उसके जीवन में बसाया

उसे विभिन्न व्यवसायों और संपत्ति के प्रबंधन का काम सौंपना।

ईरान में उनके पति श्री हरनाम सिंह (अब मृत)

और कहीं और।

X

X

XX

XX

13 (वी)। विभाजन संपत्ति संख्या 4 सी/7, नई रोहतक रोड, नई दिल्ली

जहाँ मृतक हरबंस कौर ने अपना अविभाजित हिस्सा हासिल कर लिया है। श्रीमती तेज कौर की मृत्यु की पूर्व संध्या पर "।

(जोर दिया गया)

18. कानूनी नोटिसों में उपयोग की जाने वाली भाषा और शब्द

वादी और परिवार के अन्य सदस्यों का तथ्यों को स्वीकार करना है जो चार दशकों से अधिक की पेटेंट देरी को अस्पष्ट करने के लिए रचनात्मक और चालाक कथन द्वारा किए गए भ्रम को उजागर करते हैं। प्रवेश पर काबू पाने के लिए, वादी ने प्रस्तुत किया है कि नोटिसों में उपयोग किया गया शब्द/अभिव्यक्ति 'दिया गया' है न कि 'हस्तांतरण/बिक्री'। यह कि 'दिया' शब्द का उपयोग तथ्यात्मक रूप से सही है, हालांकि जब कोई नोटिसों को समग्र रूप से पढ़ता है तो यह स्पष्ट है कि वादी, अपने परिवार के सदस्यों और प्रतिवादी संख्या 3 के साथ

यह स्वीकार किया कि तेज कौर के पक्ष में मुकदमे की संपत्ति का हस्तांतरण किया गया था। यह नोटिस तेज कौर द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के विभाजन के लिए था।

सूट संपत्ति के रूप में। नोटिस में वादी ने तेज कौर के कानूनी खिताब को चुनौती नहीं दी थी, लेकिन तेज कौर की पोती होने के नाते विरासत के अधिकार का दावा किया था। इसके अलावा, वादी को पता था और उसे तेज कौर द्वारा 3 मई 2007 को निष्पादित वसीयत की जानकारी थी।

वसीयत में मुकदमा संपत्ति भी शामिल है, यह एक तथ्य है जिसे वादी ने शिकायत के पैराग्राफ 14 में स्वीकार किया है। बेदखली की कार्यवाही पर रखा गया भरोसा वादी के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि वाद के पैराग्राफ 14 से 18 को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि किरायेदार और प्रतिवादी के बीच समझौता संख्या। 1 और 2 ने मालिकों/मकान मालिक के रूप में 29 सितंबर 2008 के आदेश के माध्यम से कार्यवाही को वापस ले लिया था। यह आदेश

अभिलेख पर रखे गए और वादी द्वारा भरोसा किए जाने पर कहा गया है कि वादी और हरबंस कौर के कानूनी प्रतिनिधियों के अधिकार और दावे संरक्षित हैं, जबकि द्वारा दावा किए गए स्वामित्व और विरासत का उल्लेख करते हुए

प्रतिवादी सं। 1 और 2 तेज कौर के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में। 29 सितंबर 2008 के आदेश के पारित होने के बाद 10 अक्टूबर 2008 और 24 अक्टूबर 2008 के कानूनी नोटिस जारी किए गए थे।

20. शिकायत पक्षकारों के बीच घनिष्ठ संबंध को रिश्तेदारों के रूप में और व्यावसायिक गतिविधियों में स्वीकार करती है। जिस व्यक्ति ने 1969 में हरबंस कौर के वकील के रूप में बिक्री विलेख को निष्पादित किया था, वह वादी का भाई है जिसके साथ वादी का कोई विवाद नहीं है। तेज कौर और प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 सूट संपत्ति में रह रहे थे। 6 अगस्त 2005 और 24 जुलाई 2007 को क्रमशः वादी की माँ और दादी, हरबंस कौर और तेज कौर की मृत्यु तक कोई दावा नहीं किया गया था। हरनाम सिंह आनंद की मृत्यु 1974 में हुई थी। 1969 में बिक्री विलेख के निष्पादन के बाद 42 वर्षों तक तेज कौर के स्वामित्व पर कोई विवाद और चुनौती नहीं थी। 2008 में, विवाद उत्पन्न हुए थे, लेकिन तेज कौर की संपत्ति की विरासत के बारे में, हालाँकि वादी और प्रतिवादी संख्या 3 ने ऐसा नहीं किया। तेज कौर के शीर्षक और स्वामित्व को चुनौती दें। इस पृष्ठभूमि में, जैसा कि ज्ञान की कमी की दलील मनगढ़ंत और अवास्तविक प्रतीत होती है, हम पढ़ते हैं

17 टी. अरिवंदम बनाम देखें। टी. वी. सत्यपाल (1977) 2 एस. सी. सी. 467 18 देखें मदनूरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम। सैयद जाला (2017) 13 एस. सी. सी. 174 सरनपाल कौर आनंद बनाम।

प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

स्वीकार किए गए और 'स्वीकार किए गए' तथ्यों को शामिल नहीं करने वाले गंजे और दिखावटी आरोपों से प्रभावित हुए बिना विवेक और बोध के साथ अभिवचन और दस्तावेज।

21. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, 10 अक्टूबर 2008 के नोटिस और

24 अक्टूबर 2008 को शिकायत में बिना किसी आरक्षण के स्वीकार किया जाता है और संदर्भित किया जाता है। वे वादी द्वारा शिकायत के साथ वादी द्वारा भरोसा किए गए प्रासंगिक दस्तावेजों के रूप में दायर किए गए हैं। शिकायत दोनों नोटिसों में की गई सामग्री और स्वीकारोक्ति पर विवाद या व्याख्या नहीं करती है। 22. नतीजतन, डिमरर के सिद्धांत को लागू करने पर, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वाद में किए गए कथनों और वादी द्वारा भरोसा किए गए और स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर, कि 2008 से पहले भी, वादी को 23 अगस्त 1969 के बिक्री विलेख के बारे में पता था और उसे जानकारी थी जिसके द्वारा स्वामित्व अधिकार तेज कौर को हस्तांतरित किए गए थे। वादी ने, 2008 में, स्थानांतरण पर सवाल नहीं उठाया और उसे चुनौती नहीं दी, हालाँकि वह पूरी तरह से जानती थी कि तेज कौर ने स्वामित्व अधिकार हासिल कर लिए थे।

23. हमने सीमा अधिनियम की धारा 17 (1) के दायरे और शर्तों को दर्शाया है, जो धोखाधड़ी करने वाले पक्ष के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। समय बीतने पर जब तक वह धोखाधड़ी के बारे में अनभिज्ञ नहीं रहता, या उचित परिश्रम के साथ धोखाधड़ी का पता लगा सकता था। धारा 17 (1) उस व्यक्ति की सहायता नहीं करती है जो उन परिस्थितियों के बावजूद अपनी आँखें बंद कर लेता है जिन पर उसे उन तथ्यों का पता लगाने की आवश्यकता होती है जिन पर उसने धोखाधड़ी का पता लगाया होगा। सीमा अधिनियम की धारा 17 (1) धोखाधड़ी करने वाले पक्ष के अधिकारों को समय के अंतराल से बचाती है जब तक कि पक्ष अपने स्वयं के खाते में गलती नहीं करता है। उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि वादी था

अक्टूबर 2008 में प्रतिवादी नंबर 3, गुरदेव सिंह आनंद द्वारा 23 अगस्त 1969 के बिक्री विलेख के माध्यम से स्वर्गीय तेज कौर के पक्ष में स्वामित्व अधिकारों के निष्पादन और हस्तांतरण के बारे में जानकारी थी। बिक्री विलेख के बारे में अज्ञानता का नाटक करते हुए वाद में असंबद्ध दावा करने से कोई मदद नहीं मिलेगी, जैसा कि वाद में अनुरोध किए गए और स्वीकार किए गए तथ्यों में, वादी को यह बताने और इंगित करने की आवश्यकता थी कि अज्ञानता उचित परिश्रम करने में विफलता के कारण नहीं थी।

24. उपरोक्त तथ्यों और कानून की स्थिति को देखते हुए, हम इस अपील को खारिज करते हैं और एकल न्यायाधीश और डिवीजन के फैसले को बरकरार रखते हैं। उच्च न्यायालय की पीठ ने मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया। हम संहिता के आदेश VI नियम 17, अर्थात् [2022] 19 एस. सी. आर. के तहत अभिवचनों के संशोधन के लिए वादी द्वारा दायर दो आवेदनों को खारिज करने के संबंध में एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के फैसले की भी पुष्टि करते हैं।

आई. ए. नंबर। 17994/2012 और 7590/2014 इस आधार पर कि जब मुकदमे को ही सीमा द्वारा वर्जित कर दिया गया है, तो ऐसे मुकदमे में संशोधन होगा अनावश्यक है।

25. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

26. दल अपना खर्च स्वयं उठाएंगे।

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1) अपने सम्मानित भाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा व्यक्त की गई राय को देखने के बाद, मैं सम्मान के साथ अपनी असमर्थता व्यक्त करता हूं।

उसी से सहमत हैं। मेरी विनम्र राय में, एकल पीठ और खंड पीठ द्वारा पारित दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) में निहित प्रावधानों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में अच्छी तरह से तय की गई कानूनी स्थिति की भी अवहेलना करते हैं। जिस मूल कानूनी आधार पर दोनों अदालतों ने शिकायत को खारिज करने के लिए आगे बढ़े हैं, वह गलत होने के कारण अनुसरण किए जाने वाले कारणों से सही नहीं ठहराया जा सकता है।

2) अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी जाती है।

3) हालाँकि मैं केवल मामले में शामिल कानूनी मुद्दों से निपटने का प्रस्ताव करता हूँ, लेकिन अभिलेख से उभरने वाले कुछ बुनियादी तथ्यों को बताए जाने की आवश्यकता है। सुविधा के लिए, पक्षकारों को मुकदमे में उनकी मूल स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।

((i)

वर्तमान अपील में अपीलार्थी श्रीमती. सरनपाल कौर

आनंद (स्वर्गीय सरदार हरनाम सिंह आनंद और श्रीमती आनंद की बेटी। हरबंस कौर) सिविल मुक़दमे में वादी थीं जो 2012 की सी. एस. (ओ. एस.) संख्या 873 ने उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया था।
अपने मूल अधिकार क्षेत्र में।

((ख)

प्रत्यर्थी सं। 1 इसमें प्रतिवादी संख्या 9 थी।

1 सूट में 9 तक। प्रतिवादी नं. 1 प्रद्युम्न सिंह चंढोक वादी की माँ का भाई था और प्रतिवादी नं। 2 प्रतिवादी नं. का बेटा हुआ। 1 . प्रतिवादी सं। 3 9 तक स्वर्गीय सरदार हरनाम के कानूनी उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी थे।

सिंह आनंद और श्रीमती. हरबंस कौर।

(iii) वादी ने 27 मार्च, 2012 को प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें घोषणा की डिक्री की मांग की गई कि ए. एन. पी. ए. एल. कौर आनंद बनाम.

प्रद्युम्न सिंह एनडोक और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

मुक़दमा संपत्ति संख्या 4-सी/7, नई रोहतक रोड, नई दिल्ली वादी और प्रतिवादी संख्या की संयुक्त अविभाजित पारिवारिक संपत्ति थी। 3 9 तक और वह प्रतिवादी संख्या। 1 & 2 उक्त संपत्ति पर या उस पर उसका कोई अधिकार या हित नहीं था। वादी ने आगे यह घोषणा करने की मांग की कि 23 अगस्त, 1969 का कथित बिक्री विलेख कथित रूप से श्रीमती द्वारा निष्पादित किया गया था। हरबंस कौर अपने कथित माध्यम से

उन्हें किसी भी निर्माण/जोड़/परिवर्तन को अंजाम देने, या सूट संपत्ति के किसी भी हिस्से के संबंध में तीसरे पक्ष के हित को बेचने या बनाने के लिए कोई समझौता करने से रोकना। 10.05.2012 पर, प्रतिवादी संख्या। 1 & 2 विभिन्न विवादों को उठाते हुए और मुकदमे को खारिज करने के लिए प्रार्थना करते हुए अपने-अपने लिखित बयान दायर किए।

15.05.2012 पर, प्रतिवादी नं. 2 मुक़दमे में 2012 का आई. ए. सं. 9950 होने के कारण आदेश VII नियम 11 (डी) सी. पी. सी. के तहत शिकायत को अस्वीकार करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया।

11.09.2012 पर, वादी ने आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. I.A.No के तहत एक आवेदन दायर किया। 2012 का 17994 की मांग

प्रार्थना खंड में कब्जे की राहत को शामिल करने के लिए शिकायत में संशोधन।

आई. डी. 1 पर, निचली अदालत यानी उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया जो इस प्रकार हैः

" 1. क्या इस आधार पर तैयार किया गया मुकदमा सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत खारिज होने योग्य है।

सीमा? ओपीडी "

28.04.2014 पर, वादी ने आदेश VI, नियम 17 के तहत एक और आवेदन दायर किया, जिसमें मुकदमा दायर करने के लिए घटना को समझाने/विस्तृत करने के लिए कार्रवाई खंड के कारण में संशोधन करने की मांग की गई। उक्त आवेदन आई. ए. सं. 7950/14 के रूप में पंजीकृत था। उक्त सूट।

अग्रिम न्यायालय की रिपोर्ट

एकल पीठ ने 6 अप्रैल, 2015 के सामान्य आदेश के माध्यम से आई. ए. सं. के साथ प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लिया।

17994/12 और आई. ए. सं. 7950/14, शिकायत को अस्वीकार करते हुए। द.

उक्त आदेश के पैरा 39 और 40 में निहित कार्यात्मक भाग निम्नानुसार हैः

" 39. सूट जाहिरा तौर पर समय की पाबंदी है। इसलिए शिकायत को खारिज कर दिया जाता है। मामले में तैयार किए गए मुद्दे का तदनुसार वादी के खिलाफ और प्रतिवादी संख्या के पक्ष में निर्णय लिया जाता है। 1 & 2 , वादी द्वारा दायर किए गए संशोधन आवेदन दुर्भावनापूर्ण हैं और बनाए रखने योग्य नहीं हैं क्योंकि अभिलेख पर रखे गए अभिवचनों और दस्तावेजों के लिए यह समय की पाबंदी है। दोनों आवेदन हैं -

तदनुसार खारिज कर दिया।

40. शिकायत खारिज कर दी जाती है। सभी लंबित आवेदन हैं -

परिणामस्वरूप भी निपटाया गया "।

ट्रायल कोर्ट/सिंगल बेंच द्वारा पारित उक्त फैसले और डिक्री से व्यथित होने के कारण, वादी ने 2015 की धारा 96 के तहत 2015 की आर. एफ. ए. (ओ. एस.) No.54 होने की अपील को प्राथमिकता दी।

उच्च न्यायालय के अपीलीय न्यायालय/खंड पीठ के समक्ष सी. पी. सी.। डिवीजन बेंच ने पारित आदेश की पुष्टि की

एकल पीठ ने उक्त अपील को खारिज कर दिया

25 अप्रैल, 2016 का विवादित निर्णय और आदेश। डिवीजन बेंच ने अपील को खारिज करते हुए यह भी लिया कि

आदेश XII नियम 6 में निहित प्रावधानों का सहारा लेना

सी. पी. सी., जो एकल पीठ के समक्ष मुद्दा नहीं था।

उच्च न्यायालय में, अपीलार्थी-वादी ने याचिका दायर की है।एकल द्वारा पारित विवादित आदेशों को ध्यान में रखते हुए

निम्नलिखित प्रश्नों पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ

ध्यान दें:

क्या एकल पीठ यानी निचली अदालत हो सकती थी सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत शिकायत को खारिज करने के उद्देश्य से सीमा के मुद्दे के संबंध में आदेश XIV नियम 2 के तहत प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया गया जो कानून और तथ्य का एक मिश्रित सवाल था?

अनिल कौर आनंद बनाम। प्रद्युम्न सिंह एनडोक और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

क्या डिवीजन बेंच यानी अपीलीय अदालत अपील के दायरे से परे जा सकती थी और ले सकती थी

आदेश VII नियम 11 (डी), सी. पी. सी. के तहत शिकायत? क्या एकल पीठ और खंड पीठ ने आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वाद को इस आधार पर खारिज करते हुए लिखित बयानों और अन्य दस्तावेजों का उल्लेख करके रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट रूप से कानून की त्रुटि की थी कि वाद वर्जित था।

सीमा के कानून द्वारा?

अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवानएन. टी. आई. एफ. ने निम्नलिखित निवेदन किए हैं:

तथ्यों और कानून का एक मिश्रित प्रश्न होने के कारण, आदेश VII नियम 11 (डी) सी. पी. सी. के तहत शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता था।

आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत एक आवेदन का निर्णय केवल वाद में किए गए कथनों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि लिखित बयानों के आधार पर और

सी. पी. सी. के आदेश XIV नियम 2 के तहत प्रारंभिक निर्गम के माध्यम से निर्णय लिया गया। तय की गई कानूनी स्थिति को देखते हुए सीमा के मुद्दे को आदेश XIV नियम 2 (2) के तहत कानून के शुद्ध प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता है। एक बार मुकदमे में धोखाधड़ी का अनुरोध किए जाने के बाद, वादी ऐसा नहीं कर सकती है

पक्षों को अवसर दिए बिना अस्वीकार कर दिया जाए

प्रारंभिक निर्णय लेने से पहले, प्रार्थना खंड और वाद के कार्रवाई खंड में संशोधन की मांग करने वाले वादी के आवेदनों पर निर्णय लेना आवश्यक था। उसके द्वारा तैयार किया गया मुद्दा।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

डिवीजन बेंच ने इसके दायरे से परे यात्रा की थी

आदेश में निहित प्रावधानों पर भरोसा करके अपील करें

बारहवाँ नियम 6 अपीलार्थी-वादी की शिकायत को अस्वीकार करने के लिए, हालाँकि यह एकल पीठ के समक्ष मुद्दा नहीं था। अन्यथा भी वादी द्वारा वाद में या अन्यथा ऐसा कोई स्वीकार नहीं किया गया था जो अपीलीय न्यायालय को वादी के मुकदमे को खारिज करते हुए निर्णय पारित करने का अधिकार देता।

श्री दीवान, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता-वादी ने दस्तावेज़ों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया था एकल पीठ और खंड पीठ द्वारा निर्दिष्ट जो वाद का भाग नहीं थे। उन्होंने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए खंड पीठ द्वारा दर्ज किए गए गलत निष्कर्षों की ओर भी अदालत का ध्यान आकर्षित किया।

बेंच।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान ने इस अदालत के विभिन्न निर्णयों पर अपनी इस दलील को पुष्ट करने के लिए रिलायंस को रखा है कि वादी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, और सीमा का मुद्दा तथ्य और कानून का एक मिश्रित सवाल है, इसलिए सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता है। आदेश XIV नियम 2 भी न्यायालय को एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में सीमा के मुद्दे का परीक्षण करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है, क्योंकि यह कानून का शुद्ध प्रश्न नहीं है।

एन. जी. प्रतिवादी संख्या की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया। 1 और 2 (मूल प्रतिवादी सं। 1 और 2) विंग प्रस्तुतियाँः

एकल पीठ ने सीमा के मुद्दे के संबंध में प्रारंभिक मुद्दे को सही ढंग से तैयार किया था, जो कि एक विशुद्ध मुद्दा था। कानून का सवाल, और सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत शिकायत को सही ढंग से खारिज कर दिया था। डिवीजन बेंच द्वारा उक्त फैसले की पुष्टि किए जाने के बाद, यह न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है

तथ्यों के उक्त समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना।

दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किया गया।

वादी ने आदेश VI नियम 17 के तहत वाद में संशोधन के लिए आवेदन दायर किए थे।

सीमा के मुद्दे को ढकना, प्रक्रिया का दुरुपयोग करना

कानून।

सरनपाल कौर आनंद बनाम। प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

खत्री होटल्स प्रा. लि. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना। लि. बनाम भारत संघ 1, श्री पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि यदि मुकदमा कई कारणों पर आधारित है

कार्रवाई, सीमा की अवधि उस तारीख से चलना शुरू हो जाएगी जब मुकदमा करने का अधिकार पहली बार अर्जित किया गया था।

(iv) अभिवचनों और स्वीकृत दस्तावेजों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आदेश XII नियम 6 के तहत अपनी स्वतः संज्ञान शक्तियों का सही उपयोग किया था।

अभियोग को अस्वीकार करने का उद्देश्य।

(v)

के संबंध में वादी के प्रवेश को ध्यान में रखते हुए

श्रीमती का स्वामित्व। तेज कौर ने अपनी संपत्ति के उत्तराधिकार की मांग करते हुए और 3 मई, 2007 की वसीयत की जानकारी स्वर्गीय श्रीमती द्वारा निष्पादित की। तेज कौर प्रतिवादी नं. 2 वर्ष 2008 में, और मार्च, 2012 में मुकदमा दायर किया गया था, यह स्पष्ट रूप से सीमा की अवधि से परे था

सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित तीन वर्षों के लिए।

(vi) उच्च न्यायालय की खंड पीठ अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर थी।

आदेश XII, नियम 6 सी. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग करने और स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णय पारित करने का अधिकार क्षेत्र। इस संबंध में उन्होंने मामले में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा रखा है

करम कपाही और अन्य। बनाम मेसर्स लाल चंद पब्लिक

चैरिटेबल ट्रस्ट और Anr.² और चरणजीत लाल मेहरा और अन्य के मामले में। बनाम श्रीमती। कमल सरोज महाजन और Anr.³

(vii) टी के मामले में निर्णय पर निर्भरता रखना

अरिवंदम बनाम टी. वी. सत्यपाल और Anr.4, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि शिकायत को सार्थक रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला और अयोग्य प्रतीत होता है, तो अदालत को सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कहा गया हैः

उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया गया।

8) शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि मुकदमा उच्च न्यायालय में एक मुखबिर द्वारा अपने मूल अधिकार क्षेत्र में दायर किया गया था, एकल पीठ अदालत और एक अपीलीय अदालत के रूप में डिवीजन बेंच की आवश्यकता थी

.) 9 एससीसी 126 0) 4 एससीसी 753

5) 11 एससीसी 279 7) 4 एससीसी 467 [2022] 19 एस. सी. आर.

वाद और अपील पर क्रमशः निर्णय लेते समय सी. पी. सी. में निहित विशिष्ट प्रावधानों का पालन करना।

9) जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है, हालांकि प्रतिवादी नहीं। 2 आदेश VII नियम के तहत शिकायत को अस्वीकार करने के लिए एक आवेदन दायर किया था

11 (घ) सी. पी. सी. की एकल पीठ ने उक्त आवेदन पर निर्णय लेने के बजाय आदेश XIV नियम 2 के तहत एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया, कि क्या तैयार किया गया मुकदमा सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत सीमा के आधार पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी है। एकल पीठ ने तब वादी के खिलाफ प्रारंभिक मुद्दे का फैसला करते हुए कहा कि लिखित बयान और संबंधित प्रतिवादियों द्वारा दायर अन्य दस्तावेजों पर विचार करते हुए, जो वाद का हिस्सा नहीं थे, आदेश VII, नियम 11 (डी) के तहत वाद खारिज होने योग्य था। एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता-वादी द्वारा दायर नियमित अपील में खंड पीठ ने सी. पी. सी. के आदेश XII नियम 6 में निहित प्रावधानों पर भरोसा करके और त्रुटि की, जो एकल पीठ के समक्ष मुद्दा भी नहीं था, और एकल पीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक तय करने के लिए दायरा, दायरा और मापदंड वाद की अस्वीकृति के लिए आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत आवेदन; आदेश XIV नियम 2 (2) के तहत प्रारंभिक मुद्दा उठाने के लिए; और आदेश XII नियम 6 के तहत अभिवचन में या अन्यथा तथ्य को स्वीकार करने पर निर्णय पारित करने के लिए बिल्कुल अलग और पारस्परिक रूप से अनन्य होने के कारण, तीनों प्रावधानों का उपयोग सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वाद को अस्वीकार करने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है। यह भी है

कानून का अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव कि जब एक व्यक्त प्रावधान के तहत एक दीवानी न्यायालय द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग किया जाना है, तो सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता है। 10) स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, आइए हम सी. पी. सी. में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करें।

-आदेश VII नियम 11 निम्नानुसार हैः

11. शिकायत की अस्वीकृति। अभियोग में खारिज कर दिया जाएगा

निम्नलिखित मामलेः

(क) जहाँ यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है;

(बी)।

(सी)।

((घ) जहाँ वाद वाद के कथन से प्रकट होता है।

किसी भी कानून द्वारा वर्जित होना; अरानपाल कौर आनंद बनाम।

प्रद्युम्न सिंहहाथोक और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

(ई)।

(च)।

आदेश XII नियम 6 निम्नानुसार हैः

6. प्रवेश पर निर्णय-(1) जहां तथ्य स्वीकार किए जाते हैं।

या तो अभिवचन में या अन्यथा, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में किया गया हो, न्यायालय वाद के किसी भी स्तर पर, या तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर और पक्षों के बीच किसी अन्य प्रश्न के निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना, ऐसा आदेश दे सकता है या ऐसा निर्णय दे सकता है जो वह उचित समझे।

(2) जब भी उप-नियम (1) के तहत कोई निर्णय सुनाया जाता है तो निर्णय के अनुसार एक डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वह तारीख होगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया था।

आदेश XIV नियम 2 निम्नानुसार हैः

1. मुद्दे की रूपरेखाः .....

2. अदालत सभी मुद्दों पर फैसला सुनाएगी। — (1)

इसके बावजूद कि एक मामले का निपटारा किया जा सकता है

प्रारंभिक मुद्दे पर, न्यायालय, उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी मुद्दों पर निर्णय देगा।

(2) जहां एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं, और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दे पर किया जा सकता है, तो वह पहले उस मुद्दे का परीक्षण कर सकता है यदि मुद्दा संबंधित है-(क) न्यायालय की अधिकारिता, या (ख) किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे पर रोक जो उस समय लागू है, और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझता है, तो अन्य मुद्दों के निपटारे को तब तक स्थगित कर सकता है जब तक कि

उस मुद्दे को निर्धारित किया गया है, और मुकदमे से निपटा जा सकता है

उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार।

1) के खंड (ए) और खंड (डी) में रेखांकित मूल अभिधारणा

आदेश VII यह है कि उक्त के तहत शिकायत को खारिज करते हुए

न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह केवल वाद में किए गए अभिकथनों और वाद के साथ संलग्न दस्तावेजों, यदि कोई हो, को देखे, न कि बयान या अन्य दस्तावेजों को जो वाद का हिस्सा नहीं हैं। में।

कमला और ओआरएस बनाम। के. टी. ईश्वर सा & Ors.5, यह किया गया है

v. यह कि सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) को लागू करने के उद्देश्य से, सबूतों की मात्रा पर गौर किया जा सकता है और यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि किसी भी कानून के तहत बाहर निकलने पर रोक है।

शिकायत में। सटीक रूप से, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 21. संहिता के आदेश VII, नियम 11 (डी) का सीमित अनुप्रयोग है। यह दिखाया जाना चाहिए कि मुकदमा किसी भी कानून के तहत वर्जित है। इस तरह का निष्कर्ष वाद में किए गए कथनों से निकाला जाना चाहिए। हमारी राय में आदेश VII, नियम 11 के विभिन्न खंडों को मिलाया नहीं जाना चाहिए। जबकि किसी दिए गए मामले में, शिकायत की अस्वीकृति के लिए आवेदन उसके विभिन्न उपखंडों में निर्दिष्ट एक से अधिक आधारों पर दायर किया जा सकता है, उस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है। संहिता के आदेश VII, नियम 11 के खंड (घ) को लागू करने के लिए जो प्रासंगिक होगा वह वाद में किए गए कथन हैं। उस उद्देश्य के लिए, कोई जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है। न्यायालय की ओर से अधिकार क्षेत्र की अनुपस्थिति को विभिन्न चरणों में और संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत लागू किया जा सकता है। संहिता का आदेश VII, नियम 11 एक है, आदेश XIV,

नियम 2 एक और है।

22. संहिता के आदेश VII, नियम 11 (डी) को लागू करने के उद्देश्य से, किसी भी प्रमाण की मात्रा पर विचार नहीं किया जा सकता है। पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले मामले के गुण-दोष के मुद्दे उस स्तर पर न्यायालय के दायरे में नहीं होंगे। सभी मुद्दे नहीं होंगे

उक्त प्रावधान के तहत एक आदेश की विषय वस्तु।

.....

25. इस न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय इस संबंध में समान नहीं हैं। लेकिन, फिर व्यापक सिद्धांत जिसे इससे निकाला जा सकता है, वह यह है कि उस स्तर पर अदालत किसी भी साक्ष्य पर विचार नहीं करेगी या किसी विवादित प्रश्न में प्रवेश नहीं करेगी। कानून की वास्तविकता। यदि न्यायालय की अधिकारिता किसी भी कानून द्वारा वर्जित पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि इसकी विषय वस्तु, शिकायत के पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

12) सलीम भाई और ओआरएस के मामले में। बनाम महाराष्ट्र राज्य Drs.6, यह स्पष्ट किया गया था कि आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से

: आदेश VII, सी. पी. सी. के नियम 11 के खंड (ए) और (डी), अभिकथन वाद सामान्य हैं; प्रतिवादी द्वारा लिखित रूप में ली गई याचिका

3) 1 एस. सी. सी. 557 सरनपाल कौर आनंद बनाम। प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

यह पूरी तरह से अप्रासंगिक होगा। सौमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन के मामले में भी अदालत ने इसी तरह का विचार रखा है।

ओरस। ' , इसके पैरा 9 में, यह निम्नानुसार देखा गया थाः

" 9. पहली बार में, यह देखा जा सकता है कि जहाँ तक राहत की बात है

स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा संबंधित है जो आधारित है

कार्रवाई के एक अलग कारण पर। साथ ही निचली अदालत द्वारा उस तरह की राहत पर तभी विचार किया जा सकता है जब वादी इस तरह का मुकदमा लाने के लिए अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम हो। यदि अपीलार्थी द्वारा अपने लिखित कथन में किए गए कथन सही हैं, तो ऐसा वाद उतना बनाए रखने योग्य नहीं हो सकता है जितना कि अपीलार्थी के अनुसार पिछले दो मुकदमों में पहले ही तय किया जा चुका है कि प्रतिवादी नहीं। 1 / वादी अपना हिस्सा लेने के बाद साझेदारी फर्म से बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गया था और यह अपीलार्थी (या अपीलार्थी और प्रतिवादी नं। 2) जो मेसर्स के मामलों का प्रबंधन करने के हकदार हैं। सेन इंडस्ट्रीज। हालाँकि, इस स्तर पर, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही बताया गया है,

लिखित कथन में बचाव को शामिल नहीं किया जा सकता है। आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से केवल शिकायत पर गौर करना पड़ता है। आदेश VII नियम 11, सी. पी. सी. के तहत। यह संभव है कि एक चतुराई से

अभियोग का मसौदा तैयार करते हुए, वादी ने 2008 के वाद संख्या 268 के बारे में विवरण नहीं दिया है जो उसके खिलाफ तय किया गया है। उन्होंने पूरी तरह से

1995 के वाद सं. 103 के बारे में उल्लेख करना छोड़ दिया गया, निर्णय

जिसे अंतिम रूप दिया जा चुका है। उस अर्थ में, वादी/प्रतिवादी नं। 1 दमन और छिपाने का दोषी हो सकता है, यदि

अपीलार्थी द्वारा किए गए कथन अंततः सही पाए जाते हैं। हालांकि, कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, इस तरह का बचाव

लिखित कथन में प्रस्तुत किए जाने पर विचार नहीं किया जा सकता है जबकि

आदेश VII नियम 11, सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर निर्णय लेना।

13) शक्ति भोग फूड स्ट्राइज़ लिमिटेड के मामले में एक और हालिया फैसले में। बनाम भारतीय केंद्रीय बैंक और अन्य, यह भी था

वेद निम्नानुसार हैः

" 18. यह स्पष्ट है कि आदेश VII नियम 11 पर विचार करने के लिए, अदालत को वाद में दिए गए कथनों पर गौर करना होगा और मुकदमे के किसी भी चरण में निचली अदालत द्वारा इसका प्रयोग किया जा

सकता है। यह भी स्पष्ट है कि लिखित कथन में अभिकथन महत्वहीन हैं और यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मामले में अभिकथनों/याचिकाओं की जांच करे।

बी) 5 एससीसी 644 एससीसी ऑनलाइन एससी 482 [2022] 19 एस. सी. आर.

शिकायत करें। दूसरे शब्दों में, इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने में जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है वाद में किए गए कथन। उस स्तर पर, लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा की गई दलीलें हैं - पूरी तरह
से अप्रासंगिक है और मामले का निर्णय केवल वाद-प्रतिवाद पर ही किया जाना है। इन सिद्धांतों को राप्टकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड वी. गणेश प्रॉपर्टी, (1998) 7 एससीसी 184 और मायार (एच. के.) में दोहराया गया है। लिमिटेड वी. वेसल एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस, (2006) 3 एससीसी 100 "।

14) श्रीहरि हनुमंतस टोटला बनाम हेमंत विठ्ठल कामत के मामले में नवीनतम निर्णय में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित है या नहीं

15) पूर्व-वर्णित कानूनी स्थिति से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आदेश VII नियम 11 (डी) को लागू करने के लिए, और अस्वीकार करने के उद्देश्य से इस आधार पर कि वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, केवल वाद में किए गए कथनों को संदर्भित किया जाना चाहिए और लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा लिया गया बचाव पूरी तरह से अप्रासंगिक है, इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

16) आदेश XIV के तहत प्रारंभिक निर्गम तैयार करने के संबंध में

नियम 2 (2) में भी कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है। आदेश XIV के नियम 2 के उप नियम 2 में निर्दिष्ट किया गया है कि जहां कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं

एक ही वाद और न्यायालय की राय है कि मामला या कोई भाग

उसका निपटारा केवल कानून के मुद्दे पर किया जा सकता है, वह पहले उस मुद्दे का परीक्षण कर सकता है यदि मुद्दा संबंधित है-(ए) न्यायालय की अधिकारिता, या (बी) उस समय लागू किसी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे के लिए एक बाधा।

17) सत्ती परदेसी समाधि और फिलियार मंदिर बनाम एम.

शकुंतला 0, यह निम्नानुसार देखा गया है:

सीमाएँ। यह ऐसा मामला नहीं है जो आदेश 14 नियम 2 के दायरे में आएगा जो अदालत को तैयार करने में सक्षम बनाएगा। स्वीप करें।

उस पर निर्णय लेने के लिए एक प्रारंभिक मुद्दा। विद्वान एकल न्यायाधीश,

9 (2021) 9 एससीसी 99

10 (2015) 5 एस. सी. सी. 574 सरनपाल कौर आनंद बनाम। प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

जैसा कि प्रतीत होता है, उक्त पहलू से पूरी तरह से अनजान रहा है और इस मुद्दे पर निर्णय दिया है जैसे कि यह आदेश 14 नियम 2 के तहत आता है। हम दोहराते हैं कि सीमा अधिनियम की धारा 10 की योजना पर हम

पता लगाएँ कि कुछ तथ्यों को स्थापित किया जाना है ताकि लिस को फेंक दिया जा सके

उक्त प्रावधान का क्षेत्र ताकि यह सीमा की अवधारणा के भीतर आए। डिवीजन बेंच ने तथ्यों की उचित परिप्रेक्ष्य में सराहना किए बिना कुछ त्रुटि की है। इसके अलावा, खंड पीठ ने इस तथ्य की सराहना किए बिना अनुच्छेद 92 से 96 का सहारा लिया कि वह "न्यासी द्वारा एक मूल्यवान विचार के लिए हस्तांतरित" शब्दों का उपयोग करती है, उस स्थिति में सीमा बारह वर्ष होगी, लेकिन तत्काल मामले में वादी का कहना है कि न्यासी ने अपनी दो बेटियों और एक पोती के पक्ष में तीन निपटान विलेख बनाए थे। विचार का मुद्दा अभी तक सामने नहीं आया है। पिता द्वारा किया गया यह समझौता था कि क्या विचार के लिए है या नहीं और इसी तरह संपत्ति ट्रस्ट की है या नहीं क्योंकि ट्रस्ट को सीमा अधिनियम की धारा 10 के अर्थ के भीतर समझा जाता है। अतः, इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि एकल न्यायाधीश द्वारा तैयार किया गया मुद्दा 1 एक ऐसा मुद्दा था जो तथ्य और कानून से संबंधित था और इसलिए, इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय नहीं दिया जा सकता था। इसलिए, विवादित आदेश [सत्ती परदेसी समाधि v. एम. शकुंतला, (2012) 2 एल. डब्ल्यू. 865 (मैड)] पूरी तरह से अस्थिर है।

18) रमेश बी. देसाई बनाम बिपिन वादिलाल मेहता में यह निम्नानुसार हैः

" 13. आदेश 14 नियम 2 सी. पी. सी. के उप-नियम (2) में कहा गया है कि जहां एक ही मुकदमे में कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं, और अदालत की राय है कि मामले या उसके किसी हिस्से का निपटारा केवल कानून के मुद्दे पर किया जा सकता है, तो वह पहले उस मुद्दे का प्रयास कर सकती है यदि वह मुद्दा (ए) अदालत की अधिकारिता, या (बी) किसी समय लागू किसी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे से संबंधित है। इस नियम के प्रावधान इस न्यायालय के समक्ष मेजर मामले में विचार के लिए आए। एस. एस. खन्ना बनाम ब्रिगेडियर एफ. जे. डिलन [(1964) 4 एससीआर 409: आकाशवाणी 1964

एस. सी. 497] और यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः (एस. सी. आर पी. 421) "

" आदेश 14 नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जहां मुद्दे हैं कानून और तथ्य दोनों एक ही मुकदमे में उत्पन्न होते हैं, और अदालत

राय है कि मामले या उसके किसी भी हिस्से का निपटारा केवल कानून के मुद्दों पर किया जा सकता है, यह पहले उन मुद्दों का परीक्षण करेगा, और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझता है, तो मुद्दों के निपटान को स्थगित कर सकता है।

वास्तव में जब तक कानून के मुद्दों का निर्धारण नहीं हो जाता। तथ्य के मुद्दों के अलावा कानून के मुद्दों का परीक्षण करने की अधिकारिता का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अदालत की राय में पूरे मुकदमे का निपटारा केवल कानून के मुद्दों पर किया जा सकता है, लेकिन संहिता अदालत को कानून के मिश्रित मुद्दों पर मुकदमे का परीक्षण करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है।

और प्रारंभिक मुद्दों के रूप में तथ्य। आम तौर पर एक मुकदमे में सभी मुद्दों की सुनवाई अदालत द्वारा की जानी चाहिए; ऐसा नहीं करने के लिए, विशेष रूप से जब कानून के मुद्दों पर निर्णय तथ्य के मुद्दों के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे की एकतरफा सुनवाई होगी।

यद्यपि संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा आदेश 14 नियम 2 सी. पी. सी. की भाषा में थोड़ा संशोधन किया गया है, लेकिन उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत अभी भी अच्छा है और इस सिद्धांत से कोई विचलन नहीं हो सकता है कि संहिता प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कानून और तथ्य के मिश्रित मुद्दों पर मुकदमे की सुनवाई करने के लिए अदालत को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है और जहां कानून के मुद्दे पर निर्णय तथ्य के निर्णय पर निर्भर करता है, वहां इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं चलाया जा सकता है।

19) सीमा के मुद्दे को आदेश XIV के तहत एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाने वाला कानून का शुद्ध प्रश्न नहीं माना गया है।

नुस्ली नेविल वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज "2 के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सी. पी. सी. का नियम 2। उक्त मामले में, सी. पी. सी. की धारा 9 ए में निहित प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में तीन न्यायाधीशों की पीठ को एक संदर्भ दिया गया था, जैसा कि सी. पी. सी. द्वारा जोड़ा गया था।

महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम, 1977 और न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 से 24 के साथ पठित धारा 3 में निहित प्रावधानों में यह प्रावधान नहीं है कि न्यायालय को इस मामले से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक न्यायालय के पास वाद का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र है, वह धारा 3 के तहत सीमा के आधार पर इसे खारिज करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है, और जब तक कि प्रश्न विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न नहीं है, तब तक इसे आदेश XIV नियम 2 के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। पीठ ने आगे कहा कि कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न को आदेश XIV नियम 2 के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने सीमा अधिनियम के आलोक में आदेश XIV नियम 2 (2) में निहित प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया और निम्नानुसार टिप्पणी कीः

1 2 (2020) 6 एस. सी. सी. 557 सरनपाल कौर आनंद बनाम प्रद्युम्न सिंह चंदोक और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

" 51. - - - - आदेश XIV नियम 1 के अनुसार, मुद्दे तब उत्पन्न होते हैं जब

तथ्य या कानून के भौतिक प्रस्ताव की पुष्टि एक पक्ष द्वारा की जाती है और दूसरे द्वारा अस्वीकार किया जाता है। मुद्दों को सामग्री प्रस्ताव पर तैयार किया जाता है, जिसे किसी अन्य पक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। तथ्यों और कानून के मुद्दों के मुद्दे हैं। यदि विशिष्ट तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, और यदि कानून का प्रश्न उत्पन्न होता है जो स्वीकार किए गए तथ्यों के परिणाम पर निर्भर करता है, तो न्यायालय के लिए आदेश XIV नियम 2 के प्रावधानों के तहत स्वीकार किए गए तथ्यों और कानून के प्रारंभिक प्रश्न के आधार पर निर्णय सुनाने का अधिकार है। आदेश XIV नियम 2 (1) में, न्यायालय प्रारंभिक मुद्दे पर मामले का फैसला कर सकता है। इसे सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाना होता है। आदेश XIV नियम 2 (2) बनाता है

एक प्रस्थान और न्यायालय न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कानून के प्रश्न या उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा मुकदमे के लिए बनाई गई बाधा का निर्णय ले सकता है, जैसे कि सीमा अधिनियम के तहत।

52. किसी मामले में सीमा के प्रश्न का निर्णय स्वीकृत तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है, इसे आदेश XIV नियम 2 (2) (बी) के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है। एक बार सीमा के बारे में तथ्य विवादित हो जाने के बाद, सीमा के प्रश्न का निर्धारण भी आदेश XIV नियम 2 (2) के तहत प्रारंभिक मुद्दे या किसी अन्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

कानून के प्रश्न पर एक निष्कर्ष दें। इस तरह के प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। एक मामले में, अधिकार क्षेत्र का सवाल उन तथ्यों के प्रमाण पर भी निर्भर करता है जो विवादित हैं। यह नहीं हो सकता। यदि तथ्य विवादित हैं और कानून का प्रश्न तथ्यों की जांच के परिणाम पर निर्भर है, तो प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय लिया जाता है, कानून के ऐसे प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है, सी. पी. सी. के संशोधन से पहले और वर्ष 1976 में संशोधन के बाद कानून का प्रस्ताव तय किया जाता है।

53. मुकदमा/आवेदन जो सीमा द्वारा वर्जित है, किसी मुकदमे पर विचार करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आधार नहीं है। यदि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के तहत प्रतिकूल अधिकार की याचिका ली गई है, यदि यह तथ्यों पर सफलतापूर्वक साबित हो जाती है, तो मुकदमे को खारिज करना होगा। हालाँकि, यह न्यायालय की अधिकारिता की कमी नहीं है कि मुकदमे को सीमा के आधार पर खारिज किया जाना है, लेकिन 12 साल के लिए प्रतिकूल कब्जे का प्रमाण तब मुकदमा होगा सीमितता द्वारा वर्जित इस तरह के प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुकदमा जो सीमा द्वारा वर्जित है, हालांकि सीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 3 में धारा 4 में निहित प्रावधानों के अधीन यह प्रावधान है और 24 सीमा अधिनियम के तहत, प्रत्येक मुकदमा दायर किया जाता है, अपील को प्राथमिकता दी जाती है, और निर्धारित अवधि के बाद किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, इसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि अदालत को मामले से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब तक न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, तब तक वह धारा 3 के तहत सीमा के आधार पर इसे खारिज करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है।

20) इस न्यायालय के पूर्व में बताए गए निर्णयों से, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सीमा की याचिका पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

कानून का अमूर्त सिद्धांत तथ्यों से अलग है जैसा कि हर मामले में

सीमा के प्रारंभिक बिंदु का पता लगाना होगा जो पूरी तरह से तथ्य का सवाल है। कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न होने के कारण सीमा की याचिका को आदेश XIV, नियम 2 (2) के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। 21) अब, जहाँ तक आदेश XII नियम 6 के तहत प्रवेश पर निर्णय देने का संबंध है, फिर से कानून अच्छी तरह से तय है कि

और आदेश XII, नियम 6 में संशोधन के कारणों के बारे में यह उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी लिमिटेड के मामले में माना गया है। बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और अन्य 1 3. कि -

" 10. आदेश 12 नियम 6 के उद्देश्य के बारे में, हमें उससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है जो स्वयं विधायिका ने कहा है जब उक्त प्रावधान में संशोधन किया गया था। उक्त नियम में संशोधन करते समय निर्धारित उद्देश्यों और कारणों में, यह कहा गया है कि जहां कोई दावा स्वीकार किया जाता है, अदालत को वादी के लिए निर्णय दर्ज करने और स्वीकार किए गए दावे पर एक डिक्री पारित करने का अधिकार क्षेत्र है। नियम का उद्देश्य पक्ष को त्वरित निर्णय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। कम से कम उस राहत की सीमा तक जिसके लिए प्रतिवादी की स्वीकृति के अनुसार, वादी हकदार है। हमें इस नियम के अर्थ को अनावश्यक रूप से संकुचित नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य एक पक्ष को त्वरित निर्णय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। जहाँ अन्य पक्ष ने पूर्व को सफल होने का अधिकार देते हुए एक स्पष्ट स्वीकार किया है, वह लागू होना चाहिए।

13 2000 (4) आर. सी. आर. सिविल 89 सरनपाल कौर आनंद बनाम

और यह भी कि जहाँ भी तथ्यों की स्पष्ट स्वीकृति है, जिसके सामने, पक्ष के लिए इस तरह की स्वीकृति देना असंभव है सफल होते हैं। "

22) हिमानी अलॉयज लिमिटेड के मामले में। बनाम टाटा स्टील Ltd.[1]4, यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि पार्टी द्वारा स्वीकार किया गया है यह स्पष्ट, स्पष्ट और बिना शर्त होना चाहिए और न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच पर अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इसका पैरा 10 इस प्रकार हैः

" 10. यह सच है कि बैठक के कार्यवृत्त में निहित "स्वीकार" पर निर्णय दिया जा सकता है। लेकिन प्रवेश स्पष्ट होना चाहिए। यह पार्टी द्वारा इसे बनाने का एक सचेत और जानबूझकर किया गया कार्य होना चाहिए, जो इससे बंधे रहने का इरादा दिखाता है। आदेश XII नियम 6 एक सक्षम प्रावधान होने के कारण, यह न तो अनिवार्य है और न ही आकस्मिक, बल्कि विवेकाधीन है। अदालत, की जांच पर

तथ्यों और परिस्थितियों को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना होगा, यह ध्यान में रखते हुए कि प्रवेश पर निर्णय बिना मुकदमे के एक निर्णय है जो योग्यता के आधार पर अपील के माध्यम से प्रतिवादी को किसी भी उपचार से स्थायी रूप से इनकार करता है। इसलिए, जब तक कि स्वीकारोक्ति स्पष्ट, स्पष्ट और बिना शर्त न हो, न्यायालय का विवेकाधिकार

दावे को चुनौती देने के लिए प्रतिवादी के मूल्यवान अधिकार से इनकार करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में, विवेकाधिकार का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब एक स्पष्ट "स्वीकार" हो जिस पर कार्रवाई की जा सके। (देखें।

उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी लिमिटेड भी। बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया [2000 (7) एससीसी 120], करम कपाही बनाम लाल चंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट [2010 (4) एससीसी 753] और जीवन डीजल एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।

बनाम. जसबीर सिंह चड्ढा [2010 (6) एस. सी. सी. 601]। "

23) हालांकि प्रतिवादियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पटवालिया ने करम के मामले में निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

कपाही और अन्य बनाम मेसर्स लाल चंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और चरणजीत लाल मेहरा और अन्य बनाम श्रीमती. कमल सरोज महाजन & उत्तर 1, वे शायद ही उत्तरदाताओं के लिए सहायक हैं। हो ही नहीं सकता।

उक्त निर्णयों में निर्धारित विधि के प्रस्ताव के प्रति कोई असहमति कि आदेश XII, नियम 6 के पीछे का सिद्धांत वादी को त्वरित निर्णय का अधिकार देना है। इस तरह, इस नियम के तहत, कोई भी पक्ष इससे छुटकारा पा सकता है

14 1 4 2011 (3) सिविल न्यायालय मामले 721 15 (2010) 4 एस. सी. सी. 753 6 (2005) 11 एस. सी. सी. 279 [2022] 19 एस. सी. आर.

इतने सारे प्रतिद्वंद्वी दावे जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है। यहां तक कि

पूछताछ में पक्षों द्वारा किए गए और न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए प्रवेश, जैसा कि आदेश X सी. पी. सी. में विचार किया गया है, पर भी विचार किया जा सकता है, फिर भी आदेश XII, नियम 6 का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब तथ्यों की स्पष्ट और स्पष्ट स्वीकृति हो, और अन्यथा नहीं। उक्त नियम 6 को भी अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वतः लागू नहीं किया जा सका

अपील में मोटो, जब निचली अदालत ने इस तरह के मुद्दे पर विचार नहीं किया था, और आदेश VII, नियम 11 (डी) सीपीसी के तहत शिकायत को खारिज कर दिया था।

24) जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है,

पहले कहा गया था कि एकल पीठ ने सी. पी. सी. के आदेश XIV नियम 2 (2) के तहत एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार करने के बाद आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत शिकायत को खारिज कर दिया था। एकल पीठ लिखित पर विचार करने के बाद

और आदेश VII, नियम 11 (डी) सी. पी. सी. के तहत वादी की शिकायत को खारिज करने वाले एकल पीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, वादी के खिलाफ आदेश XII, नियम 6 के तहत निर्णय पारित करने के लिए वादी की ओर से उन्हें स्वीकारोक्ति के रूप में माना जाता है। न्यायालय की राय में वादी द्वारा उक्त कानूनी नोटिसों में से किसी में भी कोई स्पष्ट, स्पष्ट और बिना शर्त स्वीकार नहीं किया गया था जिसे कहा जा सकता है - कथित बिक्री विलेखों के निष्पादन के संबंध में वादी की जानकारी के संबंध में प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे की स्वीकृति। इसके विपरीत, वादी ने अपने और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ की गई धोखाधड़ी का अनुरोध किया था जो श्रीमती के कानूनी प्रतिनिधि थे। हरबंस कौर। इस समय न्यायालय मुकदमे में शामिल मुद्दों के गुण-दोष में जाने के लिए इच्छुक नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि एकल

पीठ और खंड पीठ ने विवादित आदेश पारित किए हैं

सी. पी. सी. के विशिष्ट प्रावधानों की अवहेलना करना और इस न्यायालय द्वारा तय की गई कानून की स्थिति की पूरी तरह से अवहेलना करना।

25. भले ही एकल पीठ ने पाया हो कि मुकदमा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए दायर किया गया था या इस संबंध में एक भ्रम पैदा किया गया था

चतुराई से मसौदा तैयार करके कार्रवाई करने के लिए, उस मामले में भी आदेश VII

नियम 11 का सहारा नहीं लिया जा सकता था। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने टी. अरिवंडम बनाम के एक प्रसिद्ध मामले में कहा था। टी. वी. सत्यपाल और अन्र "। , सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग इस बात का ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो। इसमें आगे यह माना गया है कि यदि चतुराई से मसौदा तैयार करने से एक कारण का भ्रम पैदा हुआ है कार्रवाई करते हुए, न्यायालय को आदेश एक्स, सी. पी. सी. के तहत पक्ष की खोजबीन करके पहली सुनवाई में इसे शुरू में ही समाप्त कर देना चाहिए।

26) यह भी एक सामान्य कानून है कि सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग सी. पी. सी. के प्रावधानों को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है। द.

न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ संहिता द्वारा न्यायालय को विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त हैं, और इसका प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है जो संहिता में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई प्रक्रिया के विपरीत या अलग हो। इस न्यायालय द्वारा 1964 में अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्र कुमार और अन्य 1 के मामले में धारा 151 के दायरे पर विचार किया गया था, जिसमें इसे निम्नानुसार उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया थाः

" यह सामान्य आधार है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति कानून के स्पष्ट प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी विशेष विषय से संबंधित संहिता के विशिष्ट प्रावधान हैं और वे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से न्यायालय की शक्तियों या किसी मामले के संबंध में प्रयोग की जाने वाली क्षेत्राधिकार के दायरे को समाप्त कर देते हैं, तो संहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियों में कटौती करने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

27. मामले के उस दृष्टिकोण में, दायरा, दायरा और मापदंड

आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए, आदेश XIV नियम 2 (2) के तहत कानून के शुद्ध प्रश्न पर प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए और आदेश XII नियम 6 के तहत प्रवेश पर निर्णय देने के लिए जो बिल्कुल अलग और स्वतंत्र है। एकल पीठ और खंड पीठ को उक्त प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता थी, और वे अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे या संहिता में निहित विशिष्ट प्रावधानों का स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते थे। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश उक्त प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं और

17 1 7 (1977) 4 एस. सी. सी. 467 18 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 993 [2022] 19 एस. सी. आर.

ई-कोर्ट रिपोर्टचालू, रद्द किए जाने और अलग रखे जाने के योग्य हैं और हैं। मुकदमा एकल पीठ की फाइल पर पुनर्स्थापित किया जाता है। मुकदमे के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया कि न्यायालय ने भी कोई राय व्यक्त नहीं की है

या सूट के गुण-दोष पर।

1 खड़े रहने की अनुमति है।

आदेश

दो अलग-अलग निर्णयों द्वारा व्यक्त किया गया अंतर, मामले को माननीय मुख्य उपयुक्त आदेशों/निर्देशों के समक्ष रखने के लिए निर्धारित किया गया है।

मामला माननीय सीजेआई के समक्ष रखा जाएगा

आदेशों/निर्देशों के लिए।

)